

## अध्याय III

### वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और मूलभूत संरचना

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर, 2014 में जहां 12.8 प्रतिशत पर संतोषजनक है, वहीं आगे चलकर बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी बफर के संबंध में विनियामकीय अपेक्षा को पूरा करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

जानबूझकर की गई चूक के मामलों को अलग-अलग करके देखने के संबंध में विनियामक द्वारा अधिक ध्यान देने के कारण और घाटे के कारण उत्पन्न होने वाली चूकों के संबंध में प्रवर्तकों की समान सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बड़े कार्पोरेट ऋण पुनः संरचना मामलों में निवल आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए। इससे जुड़ा एक अन्य पहलू, जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, वह है कार्पोरेट लीवरेज और बैंकों के तुलन पत्रों पर उसका प्रभाव, खासतौर से होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर द्वारा 'दोगुनी लीवरेजिंग' तथा प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना।

भारतीय शेयर बाजार ने हाल के महीने में तेजी से प्रगति की है। जहां उसमें खुदरा निवेशकों का आधार अभी भी अपेक्षाकृत कम है, वहीं भारत के शेयर बाजार भारी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उसकी वापसी के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम बढ़ गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने स्थायी निपटान गारंटी निधि के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाया है जिससे सौदे के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

वास्तविक उपयोगकर्ताओं/हेजर्स की सहभागिता बढ़ाने और बाजार में मूल्य-निर्धारण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने पोजीशन लिमिट को संशोधित किया है जो प्रश्नागत वस्तुओं के अनुमानित उत्पादन तथा आयातों से संबद्ध होती हैं।

अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकार करने एवं वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास संघ (एफएसडीसी) की पहल के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को और मजबूत बनाया गया है।

#### वैश्विक विनियामक सुधार कार्यक्रम से संबंधित प्रगति

3.1 वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में जी20 के तत्वावधान में किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुछ उन्नत क्षेत्राधिकारों के वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण, जिसके चलते वैश्विक संकट पैदा हुआ अथवा बढ़ा था, की खामियों को सुधारना था। प्रस्तावित अधिकांश विनियामक सुधार उपायों (उदाहरण के लिए बैंकिंग पूंजी और चलनिधि विनियमन, टू-बिग-टू-फेल, छाया बैंकिंग और अन्य में ओटीसी डेरिवेटिव) की रूपरेखा के संबंध में एक व्यापक समझौता किया गया है और इन उपायों का कार्यान्वयन स्पष्ट सिद्धांतों और समय-सीमा<sup>1</sup> के आधार पर किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन का समन्वयन राष्ट्रीय विनियामक, पर्यवेक्षी और नीति-निर्माता

प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण करने वाले निकाय की सक्रिय सहभागिता के साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा किया जा रहा है ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, आघातों के प्रति और अधिक लोचदार तथा मजबूत बनाया जा सके और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक कुशल एवं स्थाई बनाया जा सके।

#### बासेल III- बैंकिंग पूंजी और चलनिधि मानक

##### अंतरराष्ट्रीय बैंकों के पूंजी अनुपात में सुधार

3.2 बैंकिंग पूंजी और चलनिधि से संबंधित की गई विनियामक पहल से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बड़े बैंकों के

<sup>1</sup> एफएसबी (2014बी), "जी 20 नेताओं को प्रस्तुत वित्तीय स्थिरता बोर्ड की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने संबंधी रिपोर्ट से संबंधित जी 20 सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण" नवंबर [http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Overview-of-Progress-in-the-Implementation-of-the-G20-Recommendations-for-Strengthening-Financial-Stability.pdf पर उपलब्ध]।


पूँजी अनुपात में सुधार देखा गया है<sup>2</sup>। मौजूदा लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत इन बैंकों का औसत सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूँजी अनुपात 2013 की दूसरी छमाही के दौरान उनकी जोखिम-भारित आस्तियों के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 3.1)। यदि बासेल III ढांचे से संबंधित सभी प्रावधान दिसंबर 2013 को लागू होते, तो इन बैंकों का औसत सीईटी 1 पूँजी अनुपात बासेल III के तहत पात्र पूँजी की नई परिभाषा, कटौतियां जो अधिकांश देशों में टियर 1 के सामान्य इक्विटी औसत पर पहले लागू नहीं थीं, और जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी के चलते 11.4 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत रहा जाता। तथापि, यह परिवर्तन विशेष रूप से, बासेल III द्वारा तुलन पत्रों पर पड़ रहे तत्काल प्रभाव को शांत करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

3.3 जैसा कि बैंकों को नए विनियामक और कारोबारी यथार्थताओं को अपनाना है, इसलिए लाभप्रदता पर पड़ने वाला प्रभाव पूँजी बफर बनाने और ऋण मांग को पूरा करने की उनकी क्षमता में दिक्कत पैदा कर सकता है। इन बैंकों को अपने कारोबार मॉडल, जिसमें मौजूदा कारोबार स्वरूप में पुनः मूल्य-निर्धारण करना, सभी गतिविधियों में पूँजी का पुनः आबंटन करना अथवा पूर्ण किफायत करना शामिल है, में बुनियादी तौर पर सुधार करने की जरूरत है।

### पूँजी संवर्द्धन : 'निपुणता-निरर्थकता' - एक परिप्रेक्ष्य

3.4 यद्यपि, बैंकों की पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल समिति के वैश्विक विनियामक मानकों से दीर्घावधि में पूँजी अनुपात में मजबूती आएगी, किंतु इन मानकों के चलते पूँजी लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है और जिसके कारण हो सकता है कि ऋण की लागत और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़े और बैंकों को इक्विटी पर प्रतिलाभ बनाए रखने के लिए आक्रमक और अधिक जोखिमपूर्ण नवोन्मेष उपाय करने के लिए बाध्य करे। इसी वजह से अतिरिक्त

चार्ट 3.1 : मौजूदा ढांचे के अंतर्गत औसत सीईटी 1, टियर 1 तथा कुल पूँजी अनुपात



स्रोत : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति

पूँजी जिसे बैंक को जुटाना है, में शामिल निपुणता-निरर्थकता संबंधी लेनदेनों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, पूँजी अनुपातों में हुए सुधार से यह जरूरी नहीं है कि बैंकिंग संस्थाओं की क्षमता में स्वतः सुधार हो जाए और इसके अलावा, अनेक कारणों से उनके पूँजी अनुपातों में सुधार हो सकता है जिससे वे आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

3.5 पूर्व में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बासेल ढांचे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जोखिम के लिए विशेष रूप से आंतरिक मॉडल पर आधारित दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के प्रबंध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी क्षेत्राधिकारों में कार्यान्वयन की तुलनीयता को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण में बासेल समिति ने जोखिम-भार निर्देश में विवेकाधिकार देने का विश्लेषण शुरू कर दिया है ताकि यह समझा जा सके कि वे पूँजी मानकों की अनिश्चित घट-बढ़ में कितना योगदान करते हैं। बैंकिंग बही और व्यापार बही की जोखिम-भारित आस्तियों के घट-बढ़ से संबंधित हाल में किए गए अध्ययन<sup>3</sup> में इसका उल्लेख किया गया है। आगे, इन विवेकाधिकारों में से कई अधिकारों

<sup>2</sup> बीसीबीएस(2014<sub>ह</sub>), 'बासेल III निगरानी रिपोर्ट', अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, सितंबर (<http://www.bis.org/publ/bcbc289.pdf> पर उपलब्ध)।

<sup>3</sup> बीसीबीएस(2013<sub>ह</sub>), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, फरवरी (<http://www.bis.org/publ/bcbs240.pdf> पर उपलब्ध)।

बीसीबीएस(2013<sub>ह</sub>), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बैंकिंग बही में ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जुलाई (<http://www.bis.org/publ/bcbs256.pdf> पर उपलब्ध)।

बीसीबीएस(2013<sub>ह</sub>), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बैंकिंग बही में बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों से संबंधित दूसरी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, दिसंबर (<http://www.bis.org/publ/bcbs267.pdf> पर उपलब्ध)।

को 2015<sup>4</sup> में हटाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बासेल समिति अन्य नीतिगत उपायों एवं बेंचमार्क का परीक्षण कर रही है ताकि विनियामकीय निरंतरता मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में अत्यधिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

3.6 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा 3 प्रतिशत के न्यूनतम लिवरेज अनुपात की शुरुआत करने का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में लिवरेज बढ़ने से रोकने और साधारण व गैर-जोखिम आधारित 'समर्थित उपाय' के साथ-साथ जोखिम आधारित पूंजी जरूरत उपायों को सुदृढ़ करना है। रिजर्व बैंक ने समांतर अवधि के लिए 4.5 प्रतिशत का टियर-I न्यूनतम लिवरेज अनुपात निर्धारित किया है।

### **'टू बिग टू फेल' से निपटने के लिए सख्त पूंजी उपायों संबंधी प्रस्ताव**

3.7 वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जि-सिब)<sup>5</sup> की हानि-वहन करने और पुनःपूंजीकरण क्षमता की पर्याप्तता से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव पर जि-सिब के लिए 'अव्यवहार्य संस्थाओं की हानि-वहन-क्षमता' (जीएलएसी) हेतु एक समान न्यूनतम जरूरत बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव में जि-सिब की हानि-वहन करने की क्षमता पर लोगों की राय लेने हेतु हाल ही में औपचारिक सिद्धांत<sup>6</sup> जारी किए गए हैं, एफएसबी ने आरडब्ल्यूए के 16 से 20 प्रतिशत के भीतर निर्धारित किए जाने वाली एकल न्यूनतम स्तंभ I 'कुल हानि-वहन- क्षमता (टीएलएसी)' जरूरत का प्रस्ताव इस शर्त के तहत किया है कि लिवरेज अनुपात संबंधी जरूरत का न्यूनतम स्तर बासेल III टियर-I से कम-से-कम दोगुना होना चाहिए।

3.8 टीएलएसी जरूरतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जि-सिब में हानि-वहन करने और पुनः पूंजीकरण की

पर्याप्त क्षमता है ताकि अवश्यक रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव के तुरंत बाद कर अदाकर्ताओं की निधि और वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले बिना महत्वपूर्ण कार्य जारी रहे। टीएलएसी के कार्यान्वयन और समान स्तंभ 1 न्यूनतम टीएलएसी जरूरत संबंधी अंतिम जांच में इस विचार-विमर्श के परिणामों और मात्रा से पड़ने वाले प्रभाव अध्ययन और बाजार सर्वेक्षण जो 2015 की शुरुआत में किया जाएगा, को ध्यान में रखा जाएगा।

3.9 टीएलएसी की अपेक्षाएं भारत के किसी भी बैंक पर लागू नहीं हैं क्योंकि उनमें से कोई भी जी-सिब नहीं है। किंतु जी-सिब के संबंध में टीएलएसी प्रस्ताव के प्रतिकूल प्रभाव से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) पर पड़ने वाले जोखिम प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

### **अधिक पूंजी जरूरतों के प्रभाव का आकलन**

3.10 कुछ अध्ययनों<sup>7</sup> से पता चलता है कि यदि अन्य बातों को स्थिर रखा जाए और यदि दिए गए ऋण के लिए समान इक्विटी अनुपात को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को अमरीका में उधार दर में 40 तथा यूरोप में 19 आधार अंकों की बढ़ोतरी करनी होगी, तभी वे 12 प्रतिशत के आरओई के स्तर को बनाए रख सकते हैं। यह देखा गया है कि बैंक उधार देने के अंतर से संबंधित बढ़ी लागत को आय के किसी अन्य शीर्ष में समायोजित किए बिना ऋण लेने वाले पर डाल देते हैं। उधार देने की बढ़ी लागत से बैंकिंग क्षेत्र से ऋण उठाव कम हो सकता है।

3.11 वृद्धि के संबंध में बासेल III के कार्यान्वयन से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु किए गए अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक पूंजी जरूरत जीडीपी<sup>8</sup> पर प्रतिकूल

<sup>4</sup> बीसीबीएस(2014), "बासेल पूंजी ढांचा राष्ट्रीय विवेकशीलता", *अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक*, नवंबर (<http://www.bis.org/bcbs/publ/d297.pdf> पर उपलब्ध)।

<sup>5</sup> एफएसबी और बीसीबीएस ने नवंबर 2014 में 30 जि-सिब की पहचान की है। जि-सिब की सूची में कोई भी भारतीय बैंक शामिल नहीं है।

<sup>6</sup> एफएसबी(2014), "प्रस्ताव में वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों (जि-सिब) की हानि-वहन करने की क्षमता की पर्याप्तता", नवंबर [<http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf> पर उपलब्ध]।

<sup>7</sup> ईलियट डी एस सालॉय और ए ओ सोटोस(2012) वित्तीय विनियमन की लागत का मूल्यांकन, आइएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/12/233, सितंबर [<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12233.pdf> पर उपलब्ध]।

<sup>8</sup> (स्लोविक पी. एंड बी कोर्नेडे (2011), बासेल 3 का समष्टिआर्थिक प्रभाव, *औईसीडी इकानामिक्स वर्किंग पेपर* सं. 844 में सुझाव दिया गया है कि पूंजी में 1 प्रतिशत की वृद्धि से 0.04 प्रतिशत की मामूली वार्षिक गिरावट आएगी, वहीं अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा किए गए अध्ययन (2011) में पाया गया कि पूंजी जरूरत से जीडीपी में यूएसए में 2.7 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 3.0 प्रतिशत और जापान में 4.0 प्रतिशत की कमी आएगी।

एमएजी(2010), "अंतिम रिपोर्ट- सुदृढ़ पूंजी और चलनिधि के संक्रमण के समति आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन," *अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक*, दिसंबर में लिखा है कि कार्यान्वयन के दौरान वार्षिक वृद्धिदर उसकी बेसलाइन स्तर से 0.3 प्रतिशत बिंदु (अथवा 3 आधार अंक) कम हो जाएगी, जो वृद्धि पर संतुलित प्रभाव होगा।


प्रभाव डाल सकती है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि ऋण को गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के कारण बासेल III जरूरत का प्रभाव-विस्तार गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र पर पड़ेगा। विशेष रूप से ईएमडी<sup>9</sup> में बासेल III के कार्यान्वयन के प्रभाव का आलोकन करने के लिए कुछ अन्य अध्ययन किए गए हैं।

### भारतीय बैंकों के पूंजी स्तर

3.12 भारत ने 1 अप्रैल 2013 से बासेल III पूंजी ढांचे को लागू किया है। सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार बासेल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों के लिए सीआरएआर संतोषजनक स्तर पर अर्थात् (मार्च 2014 के 13 प्रतिशत के प्रति) 12.8 प्रतिशत रहा। पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रिय पूंजी बफर और स्तंभ 2 के तहत पर्यवेक्षी पूंजी के कारण बैंकों पर दबाव बना रहेगा (चार्ट 3.2)। सितंबर 2014 के अंत में सभी बैंक समूहों ने न्यूनतम सीईटी1 और टियर I पूंजी अनुपात की अलग-अलग जरूरत पूरा कर लिया है, यदि भविष्य में पूंजी संरक्षण बफर को पूरा करने के लिए सीईटी1 के रूप में 2.5 प्रतिशत की अतिरिक्त जरूरत पर विचार किया जाता है तो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाएगी।


3.13 अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लागत निहितार्थ के अलावा, बैंकों को इस प्रकार का जोखिम वहन करने वाली अतिरिक्त पूंजीगत-1(एटी1) लिखतों के लिए भारत के पूंजी बाजार में सघनता, चलनिधि और पर्याप्त विस्तार संबंधी चुनौतियों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी। एक व्यापक फुटकर बाजार न होने पर कतिपय चुनिंदा निवेशक वर्ग और संस्थागत निवेशक, मुख्यतः बीमा कंपनियां, बैंकों द्वारा जारी एटी1 लिखतों की अधिकांश धारिता अपने पास रख लेंगी (चार्ट 3.3)। चूंकि ऐसे संस्थागत निवेशक ऐसी प्रतिभूतियों को अधिकांशतः परिपक्वता तक धारित करते हैं, इसलिए द्वितीयक बाजार में व्यापार के माध्यम से ऐसी लिखतों के मूल्य-निर्धारण का फीडबैक अस्पष्ट रहेगा। प्रभावी बाजार-निर्माण के अभाव में बैंक को इन लिखतों को जारी करने के लिए अपने समूह के अंतरराष्ट्रीय साधियों की तुलना में ज्यादा लागत वहन करनी पड़ेगी। यह मामला पुनः इस

चार्ट 3.2 : बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी अनुपात (सितंबर 2014)



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

चार्ट 3.3 : बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घावधि पूंजी लिखत / बांडों में बीमा कंपनियों<sup>10</sup> का निवेश



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

<sup>9</sup> ए. एब्देल-बाकी मोनल (2012), "उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर बासेल III का प्रभाव" ग्लोबल इकॉनामिक जर्नल, 12, अंक 2, पृ. 1-33 में लिखा गया है कि बासेल III के कार्यान्वयन से 47 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 3 प्रतिशत से अधिक अंकों की वृद्धि प्रभावित होगी।

<sup>10</sup> नमूने में देश की सबसे बड़ी 21 बीमा कंपनियां शामिल हैं।

बात पर जोर डालता है कि एक सक्रिय गैर-सरकारी ऋण बाजार विकसित करने की जरूरत है।

3.14 बैंकिंग उद्योग के प्रमुख भाग का स्वामी होने के नाते भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों (2011-14) में अपने अंश के रूप में ₹58.6 बिलियन की राशि सरकारी बैंकों में डाली थी और आगे 2014-15 में ₹11.2 बिलियन की राशि और डालने की योजना है। बैंकों द्वारा इक्विटी के तरजीह प्राप्त आबंटन के जरिए ज्यादातर पूंजी लगायी गयी है। सरकार इस अंतराल को भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में अपनी धारिता को कम करके 52 प्रतिशत करने की योजना बना रही है ताकि बैंक बाजार से पूंजी जुटा सके। संभावित गणना से पता चलता है कि आरडब्ल्यूए में 15 प्रतिशत की मध्यम समेकित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त करने के लिए भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को काफी मात्रा में पूंजी जुटानी होगी।

### सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बाजार मूल्यन और अंतर्निहित सरकारी गारंटी


3.15 सरकार द्वारा पूंजी अंतःप्रवाह को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने में किए गए प्रयासों को उनके निजी क्षेत्र समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत कम इक्विटी मूल्यन के कारण चुनौतियों का सामना करना होगा। पूर्व एफएसआर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कम मूल्यन के बारे में बात की गई थी। सरकार से अंतर्निहित सहयोग मिलने के बावजूद, कम इक्विटी मूल्यन को इक्विटी मूल्यन हेतु आप्शन प्राइसिंग मॉडल द्वारा उचित ठहराया गया है। अव्यक्त सरकारी गारंटी को इस मॉडल में सीधे शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि फर्म का मूल्य ऋण के अंकित मूल्य से कम है तो माना जाता है कि देनदार को प्रतिपूर्ति सरकार करे, किंतु इक्विटी निवेशकों को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अतः, इक्विटी निवेशकों के निवेशों पर ऋण के अंतर्निहित सरकारी गारंटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल्यन में अंतिम सुधार केवल आस्ति गुणवत्ता, गवर्नेंस संरचना और परिचालनात्मक कुशलता में सुधार होने से हो सकता है।

### चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी मानदंड

3.16 रिजर्व बैंक द्वारा जून 2014 को जारी चलनिधि कवरेज अनुपात से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को एलसीआर के तहत स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में अपनी मार्जिनल स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक की सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद, बैंकों को उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात के भीतर धारण करने की अनुमति प्रदान की गई (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बॉक्स 3.2 देखें)। एलसीआर में शामिल की गई एचक्यूएलए के रूप में गणना की गई इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को उनके चालू बाजार मूल्य से अधिक की राशि पर मूल्यांकित करने की जरूरत नहीं होगी<sup>11</sup>।

3.17 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में ₹.10 ट्रिलियन से अधिक की चलनिधि का बफर है जिसे असमायोजित स्तर 1 एचक्यूएलए<sup>12</sup> द्वारा दर्शाया गया और जो कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और आरडब्ल्यूए का क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा है (चार्ट 3.4)। तथापि,

चार्ट 3.4 : बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्ध चलनिधियां (असमायोजित स्तर 1-एचक्यूएलए) - (सितंबर 2014)



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

<sup>11</sup> आरबीआई(2014), "चलनिधि मानकों से संबंधित बासेल III संरचना- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक" 28 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9369&Mode=0 पर उपलब्ध]।

<sup>12</sup> असमायोजित स्तर 1 एचक्यूएलए की गणना अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर और उपलब्ध एमएसएफ के रूप में की गई है।



चूंकि प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा के लिए एलसीआर को अलग से लेना है, इसलिए भारतीय बैंकों के विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए बासेल III एलसीआर से संबंधित मानदंडों के कार्यान्वयन का प्रभाव उस तरीके से बहुत अधिक पड़ेगा जिस तरीके से अभी तक कारोबार किया जाता रहा है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार मॉडल में ऋणात्मक अंतराल पैदा हो गया है (देयताओं की तुलना में आस्तियों की अवधि लंबी हो गई है), जिसमें विदेश मुद्रा एचक्यूएलए का समर्थन नगण्य है। इतना ही नहीं, विदेशी शाखाएं जो विदेशी मुद्रा देयताओं का प्रमुख स्रोत होती हैं, मेजबान देश के चलनिधि विनियमों के अधीन होंगी, जो स्थान-दर-स्थान पर (अर्थात् सकल रूप से) बासेल III मानदंडों के अनुसार कार्यान्वयन करेंगी न कि समेकित आधार पर (अर्थात् निवल), जिससे आगे लागत और बढ़ेगी। प्रमुख करेंसियों में आगे एचक्यूएलए में ऋणात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी परिचालनों की लाभप्रदता तथा प्रमुख बैंकों की विदेशी परिचालनों की लाभप्रदता तथा प्रमुख बैंकों की विदेशी मुद्रा के काफी हद तक प्रभावित होने की संभावना है। इस मामले में भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक लागत-लाभ विश्लेषण करने तथा उभरते हुए चलनिधि विनियमों के अनुसार समुचित कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है।

### छाया बैंकिंग


3.18 'छाया बैंकिंग की प्रणाली' की भूमिका को 'ऋण मध्यस्थीकरण करने वाली संस्था और नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर की गतिविधियों' के रूप में परिभाषित किया गया, वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त परिणाम में इसे प्रणालीगत जोखिम के स्रोत के रूप में माना गया था। इसका महत्त्व अर्थव्यवस्था में ऋण अथवा चलनिधि की आपूर्ति में इसकी सीधी भूमिका से नहीं था बल्कि अधिक निकट से विनियमित बैंकिंग प्रणाली के साथ इसकी अंतरसंबद्धता से भी था।

3.19 एफएसबी कार्य-पद्धति और वर्गीकरण के अनुसार भारत में छाया बैंकिंग क्षेत्र का आकार लगभग 190 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है जो कि विश्व में सबसे अधिक अर्थात् शीर्ष में 15वें स्थान पर है। ब्रिक्स क्षेत्र में छाया बैंकिंग क्षेत्र का सबसे अधिक कारोबार करने वाला भारत तीसरा देश है (चार्ट 3.5)।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन

3.20 इस संबंध में शुरू किए गए वैश्विक सुधार प्रस्तावों का उद्देश्य समुचित निगरानी और विनियामक ढांचा विकसित करना है,


चार्ट 3.5 : ब्रिक्स देशों में छाया बैंकिंग प्रणाली का आकार



स्रोत : एफएसबी

ताकि इससे और छाया बैंकिंग प्रणाली के जरिए होने वाले जोखिम की संभावना को समाप्त किया जा सके। एफएसबी दृष्टिकोण सबसे पहले सभी प्रकार के गैर-बैंक ऋण मध्यस्थीकरण से संबंधित आंकड़े और सूचना एकत्र करने और फिर बाद में गैर-बैंक ऋण मध्यस्थीकरण के ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देने पर आधारित था जहां, परिपक्वता/चलनिधि रूपांतरण और/अथवा ऋण जोखिम अंतरण का प्रवाह और/अथवा लिवरेज से संभवतः महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकता था। भारतीय वित्तीय प्रणाली में जिसे एफएसबी द्वारा छाया बैंकिंग माना गया है, वे मुख्य रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं जो कि काफी लंबे समय से विवेकसम्मत विनियमन के अंतर्गत हैं और भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में कम हिस्सा रखती हैं (चार्ट 3.6)।

चार्ट 3.6 : भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा



स्रोत : भा.रि.बैं., सेबी, ईरडा एवं पीएफआरडीए।

3.21 तथापि, शेष वित्तीय प्रणाली (सारणी 3.1), विशेष रूप से बैंकों के साथ एनबीएफसी की अत्यधिक अंतर-संबद्धता को देखते हुए एनबीएफसी संस्थाएं, दबाव की स्थिति में बैंकों को प्रभावित कर सकती हैं और यदि चलनिधि की कमी की स्थिति में बैंक उन्हें उधार देने की इच्छा जाहिर करते हैं तो बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

3.22 इन पक्षों पर विचार करते हुए एनबीएफसी से संबंधित विनियमनों को सख्त कर दिया गया है (बॉक्स 3.1)। इसके अतिरिक्त, वास्तविक छाया बैंकिंग संस्थाओं के आकार और संविभाग का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत

सारणी 3.1 : शीर्ष एनबीएफसी<sup>13</sup> की तुलना में बैंकों, एएमसी और बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

(रु. बिलियन)	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	सितंबर 2014
बैंक	1513	1453	2919	1495
एएमसी	83	624	756	912
बीमा कंपनियां	780	880	965	1023

स्रोत : भा.रि. बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

### बॉक्स 3.1: एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे की प्रमुख-प्रमुख बातें

- i) मौजूदा एनबीएफसी (अप्रैल 1999 से पहले की पंजीकृत संस्थाएं) के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को बढ़ाकर ₹20 मिलियन कर दिया गया है। न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी को मार्च 2017 तक का समय दिया गया है।
- ii) जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी) संस्थाओं के लिए जमा स्वीकार करने संबंधी विनियमन को एक समान और सुदृढ़ बनाने हेतु मौजूदा रेटिंग रहित आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य दी गई है है इसके के लिए उन्हें 31 मार्च 2016 तक का समय दिया गया है। जमा स्वीकार करने की अधिकतम सीमा को सभी क्षेत्रों में एक समान अर्थात् एनओएफ का 1.5 गुना कर दिया गया है।
- iii) एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि में समग्र बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए प्रणालीगत महत्त्व को परिभाषित करने की प्रारंभिक सीमा को रु. 1 बिलियन से बढ़ाकर ₹5 बिलियन कर दिया गया है। इसके पश्चात जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को दो विस्तृत वर्गों अर्थात् एनबीएफसी-एनडी (जिनकी आस्तियां ₹5 बिलियन से कम हैं) और एनबीएफसी-एनडी-एसआई (जिनकी आस्तियां ₹5 बिलियन से अधिक हैं जिन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है) में बांटा जाएगा और उन पर तदनुसार विनियमन लागू होंगे। एनबीएफसी-एनडी को पूंजी पर्याप्त और ऋण संकेंद्रण मानदंड, जहां 7 का लिवरेज अनुपात उनके लिए शुरू किया गया है, से छूट प्राप्त होगी।
- iv) एनबीएफसी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी वर्ग के लिए सख्त विवेकसम्मत मानदंड अर्थात् न्यूनतम टियर 1 पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत (पूर्व के 7 प्रतिशत से-मार्च 2017 तक चरणबद्ध तरीके), बैंकों के समान आस्ति वर्गीकरण मानदंड (180 दिनों से घटाकर 90 दिन - मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से) और मानक आस्तियों के प्रावधान में मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत करने संबंधी मानदंड लागू किए गए हैं। 5 प्रतिशत के निर्धारित ऋण संकेंद्रण मानदंड से आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) को प्रदान की गई छूट तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। एनबीएफसी अतिरिक्त कारपोरेट गवर्नेंस मानक और प्रकटीकरण मानदंड एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी के लिए जारी किए गए हैं।
- v) ₹5 बिलियन से कम की आस्तियां रखने वाली एनबीएफसी पर विवेकसम्मत मानदंड लागू नहीं होंगे बशर्ते कि वे लोक निधियों का उपयोग न कर रही हों और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली संस्थाओं पर कारोबार विनियमन नहीं लागू होंगे।
- vi) यदि दोनों वर्गों की आस्ति आकार में इस प्रकार का सुदृढ़ीकरण होता है तो एक समूह में अनेक एनबीएफसी की आस्तियों को निश्चित करने के लिए एकत्र करना होगा। दोनों वर्गों पर लागू विनियमन समूह के भीतर प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी पर लागू होंगे। ₹5 बिलियन से कम की आस्तियां रखने वाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को मात्र निर्धारित वार्षिक प्रतिफल के साथ पुर्नगठित किया गया है।

<sup>13</sup> नमूने में देश की सबसे बड़ी 36 एनबीएफसी संस्थाएं (जमा स्वीकार करने वाली और जमा न स्वीकार करने वाली) शामिल हैं।

सरकार के कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा (एमसीए), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां और 'बीमा कंपनियों और पेंशन फंडिंग को छोड़कर वित्तीय मध्यस्थीकरण' तथा 'वित्तीय मध्यस्थीकरण से संबंधित सहायक गतिविधियों' के अंतर्गत वर्गीकृत कंपनियों के आंकड़ों के प्रारंभिक मिलान से पता चलता है कि इनमें से अनेक कंपनी रिजर्व बैंक में पंजीकृत नहीं हैं फिर भी वित्तीय गतिविधियां (गैर बैंकिंग) कर रही हैं। इस प्रकार की अधिकांश कंपनियों के वित्तीय विवरण से पता चलता है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रधान कारोबार मानदंड (पीबीसी) के अनुसार भारी संख्या में इस प्रकार की कंपनियों को एनबीएफसी के रूप में माना जा सकता है। इन कंपनियों में जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या कम है और इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनका रिजर्व बैंक ने पंजीकरण के लिए आवेदन अनेक कारणों से निरस्त कर दिया है।

3.23 'वित्त' कंपनियां जो वर्तमान में रिजर्व बैंक में पंजीकृत नहीं हैं, की संरचना से संबद्ध प्राथमिक जांच से पता चलता है कि आस्ति आकार की दृष्टि से गैर-पंजीकृत कंपनियों के वर्ग का संबंधित हिस्सा रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत कंपनियों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, एनबीएफसी क्षेत्र की अधिकांश छोटी कंपनियां प्रणालीगत स्थिरता के लिए प्रमुख जोखिम पैदा नहीं करती हैं (सारणी 3.2)। तथापि, वे विनियामक के लिए उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के संबंध में मुद्दों को उठाती हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)<sup>14</sup> के संबंध में, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) द्वारा की गई पहल से प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ताकि निगरानी में सुधार हो सके और अनधिकृत जमा स्वीकार करने और वित्तीय धोखाधड़ी करने जैसे समस्याओं का सामना किया जा सके।

### सरकारी स्वाधिकृत एनबीएफसी संस्थाओं को विवेकसम्मत विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता

3.24 निजी क्षेत्र की एनबीएफसी संस्थाओं के अलावा, सरकार (केंद्र और राज्य) की कुछ स्वाधिकृत वित्त कंपनियां (बैंक न होने के कारण) हैं जिन्हें रिजर्व बैंक में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है जिनका एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्ति और कारोबार में काफी हिस्सा है। सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का हिस्सा पूरे एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों का 37 प्रतिशत हिस्सा है किंतु मौजूदा समय में उन्हें रिजर्व बैंक की कतिपय विनियामक विवेकसम्मत मानदंडों से छूट प्रदान की गई है। ये एनबीएफसी संस्थाएं संपूर्ण क्षेत्र के 3.3 अनुपात की तुलना में 6.4 (राज्य सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का लिवरेज 8.8 और केंद्र सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का लिवरेज 6.2) के लिवरेज अनुपात के साथ बहुत ही लिवरेज्ड है। इनकी ₹3.8 ट्रिलियन की कुल बाह्य देयता में ₹385 बिलियन बैंकों की उधारियों के रूप में शामिल हैं।

3.25 जहां, इस प्रकार की एनबीएफसी संस्थाएं कतिपय महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों को वित्त देने में उपयोगी भूमिका निभा रही हैं और इनमें प्रारंभिक चरणों में दबाव वहन करने की क्षमता देखी जा सकती है, वहीं संबंधित विनियमनों को युक्तिसंगत बनाने को ध्यान में रखते हुए सभी जमा स्वीकार करने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकार की स्वाधिकृत कंपनियों को अन्य एनबीएफसी जिनपर विनियमन (और जहां आवश्यक हो, वहां बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन के अनुसार किया जाए) लागू हैं, के समान ही इन्हें भी विवेकसम्मत विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाने की जरूरत है।

सारणी 3.2 : रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी का आकार-वार वितरण

आस्तियों का आकार (₹ में)	कंपनियों की संख्या	कुल आस्तियों का आकार (₹ बिलियन में)	कंपनियों की समानुपातिक संख्या (%)	कुल आस्तियों के आकार का हिस्सा (%)
1 बिलियन से अधिक	454	11621	3.8	89.6
500 मिलियन से 1 बिलियन*	686	490	5.7	3.8
500 मिलियन तक	9555	854	79.4	6.6
आंकड़े उपलब्ध नहीं	1334	एनए	11.1	

\* डाटा 384 रिपोर्टिंग कंपनियों से संबंधित है।

<sup>14</sup> राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) एक राज्य स्तर की समिति है जिसका संचालन रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और प्रमुख बैंक शामिल होते हैं।



## भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सेहत और आस्ति गुणवत्ता - सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर जोर

### विनियामक रियायत

3.26 बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सरकारी बैंकों में पुनर्संरचित आस्तियों की सीमा गंभीर समस्या का विषय (विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय II देखें) है। पूंजी पर्याप्ता के दृष्टिकोण से बैंकों को पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में रिसाव की अधिक संभावना को संज्ञान में रखना अपेक्षित है। 'सामान्य व्यापारिक शर्तों (दबावग्रस्त शर्तों की तुलना में) के रूप में कारोबार' में भी, कोई भी पुनर्संरचित अग्रिम जिसे आम तौर पर किसी रेटिंग एजेन्सी द्वारा निम्न-निवेश ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया जाए, में मानक आस्तियों की तुलना में अनर्जक आस्ति में बदल जाने की संभावना अधिक होती है। चूंकि अल्पावधि कार्यशील पूंजी प्रदाता होने के नाते परंपरागत रूप से बैंकों का आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में विशेष-प्रवृत्ति वाले जोखिम में उनके द्वारा किये गये निवेश का मूल्यांकन पर्याप्त नहीं रहा है। इसीलिए, अधिकांश ऋण परियोजनाओं का मूल्यांकन कुछ ही व्यापारी बैंकों के प्राधिकार में रहा है। तथापि, चूंकि व्यापारी बैंकों की आमदनी को वित्त-बंदी से जोड़ दिया गया है और अभी भी संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने का निर्णय बैंकों के पास है, इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी परियोजना का मूल्यांकन बाहरी संस्था से करवाया जाए, तो वित्त देने से पहले बैंकों को अंतर्निहित परियोजना की जोखिम-लाभ प्रोफाइल को अधिक विस्तार से समझने की जरूरत है।


3.27 कुछ हद तक इसे उचित ठहराना विधिसम्मत होगा कि बड़े संकट और इससे बाद की अवधि के समय और उधारदाता/ उधारकर्ता की अक्षमताओं को कवर करने के लिए दी जानेवाली विनियामक नरमी से नैतिक खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू होने और साथ ही क्रेडिट के लिए उन्नत बासेल II मानदंड लागू होने के साथ ही आगे चलकर पुनर्संरचना जैसे लेखांकन विवेकाधिकार का पूंजी की आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी प्रक्रियाओं में संभावित हानि के आधार पर पूंजी का प्रावधान करना शामिल होगा (अर्थात् रिजर्व बैंक द्वारा बासेल II के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए शुरू की गई आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच या जोखिम आधारित पर्यवेक्षण) और इससे मोटे तौर पर विनियामक

पूंजी आर्थिक पूंजी के साथ एक लय में होगी जिससे विवेकाधीन लेखांकन नरमी का प्रभाव कम होगा। इस प्रकार विनियामक नरमी को पहले समाप्त करना एक उचित कदम होगा। इसके अलावा, पी.जे.नायक समिति द्वारा सुझाए गए गवर्नेंस सुधार से क्रेडिट संविभाग से जुड़े जोखिम और इसके रिटर्न के संबंध में एक मूलभूत जांच एवं पड़ताल प्रक्रिया का निर्माण होगा जिससे तदनुसार अधिक विदित जोखिम उठाई जा सकती है।

### पिछले छः महीनों में सीडीआर के तहत संदर्भित मामलों में कमी

3.28 सीडीआर के तहत रेफर/अनुमोदित किए गए कुल मामलों में आज की तारीख तक 49 प्रतिशत मामलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि हाल के पिछले दिनों में सीडीआर कक्ष को भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई है (चार्ट 3.7)। इस कमी का एक कारण यह हो सकता है कि रिजर्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन देने के लिए फ्रेमवर्क' जो 01 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है, के प्रावधानों के तहत गठित संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के अंतर्गत बैंकों को सीडीआर से बाहर अपने बड़े कर्ज को रु. 1 बिलियन के कुल एक्सपोजर (ईई) और इससे अधिक के लिए पुनर्गठित करने की अनुमति दी गई है (बॉक्स 3.2)।

चार्ट 3.7 : सीडीआर कक्ष के अंतर्गत राशि और मामलों की संख्या की तिमाही प्रवृत्ति



स्रोत : सीडीआर कक्ष

3.29 इस बात की आवश्यकता है कि सीडीआर के अंतर्गत संदर्भ, अनुमोदन और कार्यान्वयन या बहिर्गमन की समस्त प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और जवाबदेही प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। अनुमोदित सीडीआर मामलों (सफल एवं असफल मामले) की वास्तविक लागत-लाभ प्रोफाइल को पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाए जिससे नीति बनाने में मदद मिलेगी और दुर्लभ संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। विनियामक द्वारा जानबूझकर चूक करने वाले मामलों पर अलग-अलग फोकस करने की बढ़ती प्रवृत्ति और चूक में होने वाले नुकसान में प्रवर्तकों, की पर्याप्त रूप से समान सहभागिता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए निवल आर्थिक मूल्य प्रभाव मूल्यांकन में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा बड़े सीडीआर मामलों की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

### कॉरपोरेट लीवरेज


3.30 इसी से एक संबंधित मुद्दा जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित करता है वह है कॉरपोरेट लीवरेज और बैंकों के तुलन पत्र पर इसके प्रभाव के आकलन को समझना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह संकेत दिया था कि उभरते एशिया (भारत सहित) में कॉरपोरेट लीवरेज अनुपात के रुझान में एक 'फॉल्ट लाइन' देखी गई, साथ ही वैश्विक चलनिधि की तंग स्थिति, बढ़ती ब्याज-दर और धीमी वृद्धि<sup>15</sup> के चलते आघातों के फैलने की संभावना थी। भारतीय संदर्भ में, भारतीय कंपनियों (और समग्र स्तर पर बिजनेस ग्रुप) के बीच फैली ऋणग्रस्तता पर कई रिपोर्टों में बढ़ते कॉरपोरेट लीवरेज अनुपात (डेब्ट-टू-इक्विटी) की ओर इशारा किया गया है, तथापि भारतीय परिदृश्य थोड़ा अलग है क्योंकि यहां ऋणग्रस्त कंपनियों के साथ ही कई ऐसी कंपनियां भी मौजूद हैं जो नकदी के मामले में धनी हैं (चार्ट 3.8)। तेजी की अवधि में आए उत्साह ने कई भारतीय कंपनियों को बड़े विस्तार/अधिग्रहण कार्यक्रम की ओर रुख करने हेतु प्रेरित किया होगा। इस प्रकार की कई कंपनियों के लिए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि एक आघात थी और ऐसे कुछ प्रमाण हैं कि इनमें से कई कंपनियां डिलीवरेजिंग की राह पर हैं और कई कंपनियों के डेट इक्विटी अनुपात में यदि कमी नहीं आ रही है तो भी वह स्थिर बना हुआ है।

3.31 परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन में तेजी से विनियामकी क्लीयरेंस देने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और एक बार रुकी हुई परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के साथ ही कॉरपोरेट संस्थाओं की लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है और इस प्रकार इससे बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता के मुद्दे में भी मदद मिलेगी। साथ-ही-साथ यह भी मुनासिब होगा कि भारत में बहु-स्तरीय संरचना और प्रमोटर्स द्वारा शेयर गिरवी रखने से संबंधित कुछ कॉरपोरेट प्रथाओं के प्रभाव की जांच कर ली जाए जिससे संवेदनशीलता के मूल्यांकन और उसके निवारण में सुधार हो और साथ ही विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी जवाबी प्रतिक्रिया में भी नए तरीके से मदद मिले।

### धारक कंपनी/एसपीवी संरचनाओं में प्रभावी लीवरेज

3.32 वैसे तो धारक कंपनी संरचना का विकास मुख्य रूप से कई कंपनियों/परियोजनाओं में किसी एक ग्रुप की धारिता को मजबूत करने के इरादे से हुआ था, तथापि चिंताएं तब सामने आईं जब ऐसी धारक कंपनियों ने परिचालन संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया। विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का प्रादुर्भाव भी दिवालियापन लागत को कम करने की आवश्यकता से जुड़ी हुई है (और इस प्रकार उधारदाताओं को जोखिम)। एक ऐसी प्रथा है जिसे आमतौर से दोहरी लीवरेजिंग के नाम से जाना जाता है, खास तौर से वह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रचलित रही है, क्योंकि बड़ी परियोजनाओं को संपादित करने वाली कंपनियों को अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे अपनी इक्विटी योगदान

चार्ट 3.8 : बीएसई से संबद्ध 100 कंपनियों<sup>16</sup> का औसत ऋण इक्विटी अनुपात



स्रोत : कैपिटललाइन (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कंपनियों की संख्या को दर्शाते हैं)

<sup>15</sup> आइएमएफ (2014), "क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य: विश्व आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण," अप्रैल [https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/apd/eng/c2\_0414.pdf पर उपलब्ध]।

<sup>16</sup> बीएसई 100 सूचकांक के अधीन 80 कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल नहीं हैं।

से ही संतुष्ट हो जाती हैं। एक आदर्श दोहरी लीवरेजिंग में, कोई धारक कंपनी अपने तुलन पत्र से कर्ज जुटाती है और एसपीवी में इसे इक्विटी के रूप में डालती हैं। उधारदाताओं के दृष्टिकोण से, धारक कंपनी में डेट-इक्विटी अनुपात 2:1 एसपीवी में 8:1 लीवरेज में बदल सकता है। यद्यपि ऐसी प्रथा में कुछ विशिष्टता हो सकती है तथापि यह आवश्यक है कि बैंक जोखिम का मूल्यांकन करते समय इसे प्रभावी तरीके से समझे।

### प्रमोटरों द्वारा शेयर गिरवी रखने का प्रभाव

3.33 दिसंबर 2013 एफएसआर में प्रमोटरों द्वारा शेयर गिरवी रखने के संबंध में कुछ चिंताएं प्रकट की गई थीं। इस रिपोर्ट में इस मसले को उधारदाता के नजरिए से आगे और परखा गया। अधिकांश भारतीय कंपनियों का स्वामित्व/नियंत्रण एक परिवार के पास होता है क्योंकि प्रमोटर की शेयरधारिता का काफी बड़ा हिस्सा परिवार के भीतर ही सीमित होता है (सारणी 3.3)। किसी आदर्श कंपनी के लिए प्रमोटर का शेयर महत्वपूर्ण कोलैटरल हो सकता है, यदि वह लीवरेज का विस्तार करना चाहती हो। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी शेयर को गिरवी रखने की प्रथा प्रचलित है, लेकिन भारत में इसने काफी अलग ही रूप अख्तियार कर लिया है।<sup>17</sup> किसी स्वरूप की भारतीय कंपनी के मामले में, प्रमोटर शेयर को 'आउटसाइड' बिजनेस उद्यम के निधीयन के लिए नहीं बल्कि खुद कंपनी के निधीयन के लिए शेयर गिरवी रखते हैं। प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखते समय गिरवी रखे गए शेयर के अलावा इसके प्रति उनकी कोई अन्य वैयक्तिक देयता नहीं होती है। कुछ मामलों में अनैतिक प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य कम हो सकता है और प्रमोटर को कंपनी का नियंत्रण खोने की परवाह नहीं होती क्योंकि इसकी संभावना होती है कि शेयर के मूल्य धराशायी होने के पहले ही फंड को कहीं और हटा दिया जाए।<sup>18</sup> यद्यपि उधारदाता के पास यह विकल्प होता है कि जब शेयर का मूल्य गिरे तो वह इन्हें बेच दे और ऐसी स्थिति को अपनाए जिसे डिफॉल्ट इवेंट कहा जाता है, तब भी बाजार मूल्य प्रभाव के जरिए अल्पांश शेयरधारकों पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि गिरवी को लागू करने के साथ ही गिरवी रखे गए शेयरों को तुरंत बेचना होगा।

सारणी 3.3: प्रवर्तकों के प्लेज शेयरों के हिस्से की उद्योग-वार स्थिति (मार्च 2014 को)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	भारतीय प्रमोटर	विदेशी प्रमोटर	प्रमोटरों की कुल धारिता	गिरवी रखा प्रमोटरों का स्वामित्व
बैंक	49.0	0.7	49.7	0.1
अभियांत्रिकी	35.8	0.5	36.3	11.2
वित्तीय सेवाएं	47.4	1.1	48.4	7.6
एफएमसीजी	27.9	3.2	31.1	11.7
इन्फ्रास्ट्रक्चर	69.8	1.1	70.9	14.7
सूचना प्रौद्योगिकी	43.0	4.9	47.9	11.2
विनिर्माण	50.5	7.0	57.5	18.1
मीडिया और मनोरंजन	44.3	5.2	49.4	24.9
पेट्रोकेमिकल्स	54.8	5.3	60.1	8.7
फार्मास्यूटिकल्स	47.1	6.0	53.1	5.4
सेवाएं	46.3	9.7	56.1	25.5
दूरसंचार	51.4	5.8	57.3	12.8
विविध	53.1	2.8	55.9	12.6
<b>कुल</b>	<b>51.6</b>	<b>4.7</b>	<b>56.3</b>	<b>14.2</b>

स्रोत: राष्ट्रीय शेयर बाजार।

3.34 प्रमोटरों द्वारा अपने शेयरों के काफी बड़े भाग को गिरवी रखने की इस प्रथा के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिणामी लीवरेज केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं बल्कि समूची वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के संबंध में भी चिंता का विषय बन सकता है। इस मुद्दे पर और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में जब शेयर के मूल्य में तेजी है, तो कोलैटरल (गिरवी रखे गए शेयर) की उच्च लीवरेज स्थिति को सही ठहराया जा सकता है। इस संबंध में मूल प्रश्न यह है कि इस प्रथा के प्रभाव को कंपनी के नजरिए से देखा जाए जिसमें कंपनी के खुद के शेयर को उसके अपने ही तुलन पत्र पर कर्ज लेने के लिए गिरवी रखा जा सकता है।

### भारत में विविध बैंकिंग प्रणाली की ओर कदम

3.35 'भुगतान बैंक'<sup>19</sup> और 'लघु वित्त बैंक'<sup>20</sup> स्थापित करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश 27 नवंबर 2014 को जारी किए गए

<sup>17</sup> उदाहरण के लिए अमेरिका में भी कंपनी के अधिकारी "आउटसाइड" बिजनेस उद्यम के निधीयन हेतु संपार्श्विक ऋण के प्रयोजन से शेयर को गिरवी रखते हैं और कंपनी के शेयरों की पूर्व खरीद करते हैं (तथापि, कई बड़ी कंपनियां अपने अधिकारियों या निदेशकों को ऐसी प्रथा अपनाने से रोकती हैं)। द इन्स्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज (आईएसएस) जो कि संभवतः विश्व की सबसे अग्रणी कॉरपोरेट गर्वनेंस सोल्यूशन प्रदाता है, उसकी अपनी ही नीति है जो कहती है कि "किसी ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में किसी भी मात्रा में कंपनी के स्टॉक को गिरवी रखना इक्विटी का जिम्मेदारी से भरा उपयोग नहीं है"।

<sup>18</sup> इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि कंपनी में प्रमोटर की गहरी पैठ है, लेकिन कॉरपोरेट घोटालों में यह उजागर हुआ है कि इस दृष्टिकोण में संवेदनशीलता व्याप्त है।

<sup>19</sup> आरबीआई (2014), "भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश," 27 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/BS\_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32615 पर उपलब्ध]

<sup>20</sup> आरबीआई (2014), "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश," 27 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/BS\_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32614 पर उपलब्ध]

हैं। इन अलग प्रकार के बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाना है। भुगतान बैंकों का लक्ष्य है कि प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों और छोटे कारोबार को लघु बचत खाता और भुगतान/धनप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराई जाए और सुरक्षित टेक्नॉलजी के जरिए जमा एवं भुगतान/धनप्रेषण में कम मूल्य वाले लेनदेन की संख्या को बढ़ाकर ऐसा किया जाए। वहीं दूसरी ओर, लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से उच्च टेक्नॉलजी एवं कम लागत के जरिए आबादी के सेवा से वंचित एवं अल्प सेवा प्राप्त भाग को बचत सुविधा उपलब्ध कराने और छोटे कारोबार यूनिट, लघु एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं के लिए कर्ज की आपूर्ति करने का कार्य करेंगे।

3.36 एक ओर जहां लघु वित्त बैंक मूल रूप से उधार देने की गतिविधि में शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर भुगतान बैंक की गतिविधि केवल प्रति वैयक्तिक ग्राहक अधिकतम रूप से 100,000 तक जमाराशि स्वीकार करने तक सीमित होगी। इसके अलावा, लघु वित्त बैंक साझा न होनेवाले जोखिम रहित सरल वित्तीय सेवाएं जैसे म्यूच्युअल फंड यूनिट का वितरण, बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद आदि कार्य भी कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा कारोबार में अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वे कैटेगरी II अधिकृत डीलर भी बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, भुगतान बैंकों की गतिविधियों का जो दायरा है उसमें आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के अलावा उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे मांग जमा शेष का न्यूनतम 75 प्रतिशत एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) प्रतिभूतियों में बनाए रखें। इसके अलावा, अपने परिचालनगत उद्देश्यों और चलनिधि प्रबंधन के लिए उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंकों में अधिकतम 25 प्रतिशत जमा करने की अनुमति होगी।

### आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां


3.37 हाल की तिमाहियों के दौरान बैंकों द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अपने एनपीए बेचे जाने की घटनाओं में हुए अचानक इजाफे को देखते हुए, पिछली एफएसआर में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछेक पहलुओं पर प्रकाश

डाला गया था और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इस क्षेत्र के लिए नियामकीय ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए। आने वाले वर्षों में दबावग्रस्त आस्तियों का पुनर्निर्माण करने और उनकी समस्या का समाधान करने में भली प्रकार पूंजीकृत और कार्यकुशल एआरसी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। भारत में इस समय 14 एआरसी काम कर रही हैं जिनमें से दो में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की है, छह में इस प्रकार की शेयर धारिता है कि उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (विदेशी संस्थाओं सहित) दोनों की भागीदारी है। जबकि शेष अन्य छह पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के स्वामित्वाधीन हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के भारतीय बैंकों का एआरसी में महत्वपूर्ण स्तर का स्वामित्व है। अर्थव्यवस्था के और खुलने से ऐसी आशा है कि एआरसी क्षेत्र काफी विदेशी निवेश<sup>21</sup> अपनी ओर आकर्षित करेगा।

### विनियामकीय मानदंडों में हुए परिवर्तनों का प्रभाव

3.38 बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए के उच्च स्तर के कारण बढ़ते हुए व्यापारिक अवसरों पर आरूढ़ होते हुए हाल के समय में एआरसी क्षेत्र ने काफी उच्च संवृद्धि दर प्राप्त की है। पिछले वित्तीय वर्ष (2013-14) की चौथी तिमाही में और 2014-15 की पहली तिमाही में उनके आस्ति अधिग्रहण में बाढ़ सी देखी गई और इनमें बहुत से लेन-देन काफी आक्रामक कीमत पर हुए हैं तथापि, 30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में अधिग्रहण में तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

चार्ट 3.9: बैंकों द्वारा एआरसी को बेची गयी आस्तियों की राशि



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

<sup>21</sup> आज की स्थिति के अनुसार, 14 एआरसी में से सिर्फ एक ने 49 प्रतिशत के स्तर तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है।



3.39 पिछली तिमाही के दौरान आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा आस्ति अधिग्रहण में गिरावट का आंशिक तौर पर कारण अगस्त 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू संशोधित विनियमन रहा है। विनियमों में संशोधन से प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश को 5 प्रतिशत से अनिवार्य रूप से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और प्रबंधन शुल्क की गणना को अबतक की भाँति जारी की गई बकाया प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के बजाए प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के रूप में जोड़े जाने से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के मौद्रिक जोखिम (स्किन इन द गेम) में वृद्धि हुई है। इन विनियामक परिवर्तनों के पीछे तर्क यह था कि वसूली में वृद्धि हो और वसूली/पुनर्गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके क्योंकि प्रतिभूति रसीदों (एस आर) के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली की संभाव्य (लाइकली) दर के आधार पर की जाती है। अगस्त 2014 में विनियामक परिवर्तन प्रभावी किए जाने के बाद आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के वास्तविक उन्मोचन पर ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि अब प्रबंधन शुल्क के आधार पर उनके लाभ मॉडल का आधार लेना संभव नहीं होगा (विवरण बॉक्स 3.2 में देखें)। आने वाले समय में पुनर्निर्माण कंपनियों को विक्रेता बैंकों

की प्रत्याशा के अनुसार मूल्य निर्धारण में करने में कठिनाई होगी और विक्रेता बैंक जिन आस्तियों को आफलोड करना चाहते हैं उनके लिए प्रत्याशित यथार्थ विक्रय मूल्य का समाधान नहीं कर पाएंगे, परिणामस्वरूप सितंबर 2014 को समाप्त दूसरी तिमाही में विक्रय में कमी आएगी।

3.40 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू किए गए कुछ अन्य विनियामक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ एआरसी की ओर से ज्यादा प्रकटीकरण, दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक कार्य योजना में सहभागिता के लिए संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) की सदस्यता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) को लागू करने संबंधी प्रारंभिक सीमा को कम करना, नीलामी ब्लॉक पर दबावग्रस्त आस्तियों की उचित छानबीन के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अधिक समय प्रदान करना, प्रतिभूति रसीदों के मूल्यांकन की अवधि को कम करना तथा पुनर्निर्माण के लिए आयोजना अवधि को कम करना शामिल है। यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में उच्च स्तर की पारदर्शिता अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने में प्रभावी नियंत्रक प्रतिक्रिया के तौर पर इसकी दीर्घकालिक धारणीयता (ससटेनेबिलिटी) को प्रोत्साहित करेगी।

### बॉक्स 3.2: महत्वपूर्ण विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी उपाय

#### प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के साथ कारोबार:

**(डी-एसआईबी):** अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत हुए सुधार उपायों के आधार पर, भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के कारोबार के लिए जुलाई 2014 में ढांचा जारी किया गया। इनके निर्धारण की कार्य पद्धति में बड़े संकेतक की श्रेणी जैसे आकार, अंतरसंबद्धता, स्थानापन्नता और जटिलता शामिल हैं। बैंकों को आरोही क्रम में उनके सिस्टेमिक महत्व स्कोर के आधार पर चार विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है और उन्हें जिस श्रेणी में रखा गया है उसके मुताबिक बैंकों को जोखिम भारित आस्ति के तदनु रूप 0.20 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत के दायरे में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी की आवश्यकता होगी। सिस्टेमिक महत्व स्कोर की गणना वार्षिक अंतराल पर की जाएगी और 2015 से प्रति वर्ष अगस्त महीने में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के वर्गीकरण की घोषणा की जाएगी।

**ऐसी संस्था जिनका असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, उनमें बैंक के एक्सपोजर के संबंध में पूंजीगत एवं प्रावधानीकरण अपेक्षाएं:** कॉरपोरेट के असुरक्षित विदेशी मुद्रा

एक्सपोजर केवल वैयक्तिक कॉरपोरेट के लिए ही नहीं बल्कि समूची वित्तीय प्रणाली के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। जनवरी 2014 में जारी अंतिम दिशानिर्देश में ऐसी कार्य-पद्धति बताई गई है जिसे बैंकों को वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए अपनाना है। इसे और विशेष रूप से कहा जाए तो वृद्धिशील प्रावधानीकरण अपेक्षा की गणना किसी कंपनी की आय और मूल्यहास में विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली संभावित हानि के अनुपात के अनुसार की जानी चाहिए और तदनुसार वृद्धिशील पूंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी आशा है कि इन उपायों से कॉरपोरेट अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और साथ ही बैंक भी मुद्रा-जनित जोखिम को मापने और इसके प्रबंधन के लिए क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होंगे।

**केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) में बैंक के एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकता:** एक सुव्यवस्थित सीसीपी के जरिए केंद्रीय समाशोधन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से जनवरी 2014 में बैंकों

(क्रमशः)



को सूचित किया गया था कि किसी अर्हक सीसीपी (क्यूसीसीपी) में उनके समाशोधन एक्सपोजर को किसी एकल प्रतिपक्षकार में उनकी पूंजी निधि की 15 प्रतिशत की अधिकतम एक्सपोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा। क्यूसीसीपी में अन्य एक्सपोजर जैसे ऋण, क्रेडिट लाइन, सीसीपी की पूंजी में निवेश और चलनिधि सुविधा किसी एकल प्रतिपक्षकार में पूंजी निधि की वर्तमान 15 प्रतिशत की अधिकतम एक्सपोजर सीमा के तहत ही बनी रहेगी। तथापि, किसी गैर-क्यूसीसीपी में सभी एक्सपोजर 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

**प्रतिचक्रिय पूंजी बफर:** भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और इस पहलू पर बीसीबीएस सहित अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करते हुए बैंकों के लिए एक प्रतिचक्रिय पूंजी बफर निर्धारित किया गया जो बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को कर्ज देने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसेकि आगे के तीन लगातार वर्ष के लिए वृद्धिशील क्रेडिट-जमा अनुपात (क्रेडिट-जीडीपी अंतर एवं जीएनपीए वृद्धि के साथ इसके संबंध), औद्योगिक आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स (जीएनपीए वृद्धि के साथ इसके संबंध) और ब्याज कवरेज अनुपात (क्रेडिट-जीडीपी अंतर के साथ इसके संबंध) पर ध्यान देता है। यह बताया गया कि सीसीबी के बारे में निर्णय चार तिमाहियों के निष्पादन समय सीमा से पहले घोषित कर दिया जाए। क्रेडिट-जीडीपी गैप के 3 प्रतिशत अंक पर सीसीबी की निम्न सीमा (एल) निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी, बशर्ते जीएनपीए के साथ इसका संबंध महत्वपूर्ण बना रहे और क्रेडिट-जीडीपी अंतर के 15 प्रतिशत अंक पर इसकी अधिकतम सीमा (एच) निर्धारित की गई।

**दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन प्रदान करना:** रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जनवरी 2014 में एक ढांचा शुरू किया। मूल रूप में, यह ढांचा एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना को रेखांकित करता है जिससे व्यवहार्य समझे जाने वाले समस्याग्रस्त खातों को पहले पहचानने में मदद मिलेगी और समय पर उनकी पुनर्संरचना होगी और अर्थक्षम खातों की बिक्री या रिकवरी के लिए तेजी से कदम उठाए जा सकेंगे। इस ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (क) ऐसे उधारकर्ता जिनका निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर 50 मिलियन रुपए है उनसे संबंधित क्रेडिट डाटा जुटाने, रखने और प्रसारित करने के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) की स्थापना की गई है; (ख) वाणिज्यिक बैंक अपने उधारकर्ता/ग्राहक से जुड़ी क्रेडिट जानकारी को अनिवार्यतः सूचित करें; (ग) जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और सभी एनबीएफसी-फैक्टर (संक्षेप में, अधिसूचित एनबीएफसी) से भी

यह अपेक्षित है कि वे ये सूचना प्रस्तुत करें; (घ) बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे सभी चालू खातों का विवरण प्रस्तुत करें जिनमें बकाया शेष (डेबिट या क्रेडिट) 10 मिलियन रुपए या इससे ऊपर है; (ङ) बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए) की तीन श्रेणियों के जरिए उधार खातों में दबाव पर निगरानी रखें।

**चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीए):** बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देश के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने 'चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपाय और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' के संबंध में जून 2014 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किया जिसमें देश-विशिष्ट सरोकार का भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसे लागू करने की अवधि के दौरान अक्सर की जाने वाली व्यवस्थाओं और पारभाषिक पहलुओं के अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इस दिशानिर्देश में भारतीय वित्तीय बाजार में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों (एचक्यूएलए) के दायरे और उनकी अर्थसुलभता की खूबियों पर भी विचार किया गया है। परिणामस्वरूप, एनडीटीएल की 2 प्रतिशत की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को लेवल 1 उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों में शामिल करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद, बैंकों को अब (जनवरी 2015 से) उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात के भीतर धारण करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, 50 प्रतिशत हेयरकट के साथ पात्र कॉमन इक्विटी शेयर को लेवल 2 बी उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों में शामिल करने की अनुमति दी गई है। आरबीआई मानक में चलनिधि जोखिम निगरानी के उपायों को उपयुक्त तरीके से निर्धारित किया गया है। तदनुसार, चार अतिरिक्त रिटर्न निर्धारित किए गए हैं: एलसीआर, महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर, उपलब्ध भार-रहित आस्तियां, निधि संकुचन और बैंकों की चलनिधि पर अन्य जानकारी।

**आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को एनपीए की बिक्री:** अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवन प्रदान करने के प्रयोजन से फरवरी 2014 में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे (क) एनपीए की बिक्री पर एक्सेस प्रावधान को इस बिक्री से प्राप्त नकदी की उस सीमा तक लाभ एवं हानि खाता में रिवर्स करें जो एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है; (ख) एनपीए की बिक्री पर हानि को एआरसी में परिशोधन करें जब दो वर्ष की अवधि में बिक्री प्रतिफल निवल बही मूल्य से कम हो (31 मार्च 2015 तक बेचे गए एनपीए के संबंध में); (ग) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट की गई वित्तीय आस्ति क्रिसिल को बेचना; (घ) एनपीए की बिक्री पर किसी कमी को पूरा करने के

(क्रमशः)

लिए प्रतिचक्रिय/फ्लोटिंग प्रावधान (अर्थात् जब बिक्री की कीमत निवल बही मूल्य से कम हो)। इन उपायों का लक्ष्य यह है कि बैंक एससी/आरसी को अपने एनपीए बेचने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे यह आशा है कि वे बदले में आस्ति पुनर्निर्माण पर अधिक जोर देते हुए दबावग्रस्त आस्ति के प्रबंधन में एक मददगार प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

**जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014:** बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधिनियमन के अनुक्रम में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि योजना के संबंध में एक अलग धारा जोड़ी गई है। इस योजना के तहत, जोकि देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों पर लागू है, डीईए निधि में क्रेडिट की जानेवाली राशि बैंक में रखे गए ऐसे किसी भी जमा खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में होगी जिनमें दस या इससे अधिक वर्ष से लेनदेन नहीं हुआ है या कोई राशि जो दस वर्ष या इससे अधिक वर्ष तक दावा रहित रही हो। बैंक ऐसे सभी खातों में प्रभावी तारीख से एक दिन पहले की तारीख को संचयी बैलेंस की गणना करेंगे और उपचित ब्याज के साथ अगले महीने के अंतिम कार्यदिवस को इस राशि को डीईए को हस्तांतरित करेंगे। डीईए निधि का इस्तेमाल जमाकर्ताओं के हित को बढ़ाने और ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए हों।

**अलग प्रकार के बैंक लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश का मसौदा:** रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक एवं लघु बैंक पर अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिया है (पैरा 3.35 एवं 3.36)।

#### सीमापार पर्यवेक्षण में गतिविधियां:

- **बासेल कोर सिद्धांत:** तीन बासेल कोर सिद्धांत (बीसीपी), जिनमें होम-होस्ट रिलेशनशिप पर बीसीपी 25 (संशोधित सिद्धांत 13) शामिल है के संबंध में रिजर्व बैंक के 'मैट्रियली नॉन-कंप्लायंट' एफएसएपी मूल्यांकन (2011) के अनुपालन में, रिजर्व बैंक ने ऐसे क्षेत्राधिकार जहां भारतीय बैंक परिचालन कर रहे हैं वहां पर्यवेक्षी सूचना साझा करने एवं सहयोग करने की ओर काफी प्रगति की है। इस प्रक्रिया के अनुक्रम में, रिजर्व

बैंक ने विदेशी विनियामकों/पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षणीय सहयोग के लिए पहले ही 20 सहमति-ज्ञापनों और एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **पर्यवेक्षी कॉलेज:** होम एवं होस्ट पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाने और सूचना के आदान-प्रदान में सुधार लाने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक ने दो बड़े भारतीय बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया) के संबंध में 2013-14 में पर्यवेक्षी कॉलेज की व्यवस्था की है। इसके पहले 2012-13 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज का आयोजन किया गया था।
- **भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों का निरीक्षण:** भारतीय बैंकों का वैश्विक परिचालन 54 देशों में फैला हुआ है। विदेशी शाखाओं की वित्तीय स्थिति, प्रणाली, और नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए 2012-13 में पांच विदेशी क्षेत्राधिकार में आठ बैंकों का निरीक्षण किया गया जो भारतीय बैंकों की कुल विदेशी आस्तियों का लगभग 60 प्रतिशत कवर करते हैं। इसके अलावा, 2013-14 में छः क्षेत्राधिकार में छः अतिरिक्त बैंकों का निरीक्षण किया गया जो आस्ति स्वामित्व का और 20 प्रतिशत कवर करते हैं।

**एनबीएफसी को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना:** वित्तीय समावेशन को और तेज करने के प्रायस में रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय किए हैं जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को दी गई यह अनुमति शामिल है कि वे एनबीएफसी को कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं (केवल एनबीएफसी-एनडी ही बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं)। एनबीएफसी को कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते समय बैंकों को सुनिश्चित करना है कि उनके फंड एनबीएफसी के फंड के साथ आपस में न मिल जाएं। जब एनबीएफसी-एनडी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें तो बैंकों को उन्हें ऐसी प्रथाओं जैसेकि केवल अपने ग्राहकों को बचत या धनप्रेषण की सुविधा देना और उनके एवं बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं को जबरन एक साथ मिलाकर देने से रोकना है।

#### विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं : विशिष्ट निधि संवितरण पर निर्भरता

3.41 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) जैसी विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) चुनिंदा क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की पुनर्वित्त की जरूरतों


को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बैंक इन संस्थानों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि ऋण लिखतों को खरीदते हैं और उनसे पुनर्वित्त की सुविधाओं का भी लाभ लेते हैं। तथापि, बदल रहे विनियामक और कारोबारी परिदृश्य में डीएफआई द्वारा अपनी निधीयन व्यवस्थाओं की कुछ अनूठी विशेषताओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है विशेष तौर पर, जो ग्रामीण बुनियादी

संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)<sup>22</sup> जैसे कुछ निधियों में बैंकों द्वारा किए जा रहे अधिदेशात्मक अभिदान से संबंधित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) और आवास जैसे क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जैसे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इन डीएफआई में आरआईडीएफ और पुनर्वित्त निधि की श्रेणी वाले कुछ अन्य विशेष कोष स्थापित किए गए हैं। इन निधियों का विकास तेजी से हो रहा है और बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लक्ष्य में कमी की भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं। दीर्घावधि बांड और विशेष फंड दोनों में सितम्बर 2014 तक बैंकिंग क्षेत्रों ने रु.1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश किया है। इसके साथ ही, उसी अवधि के दौरान डीएफआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को रु. 800 बिलियन से अधिक का ऋण और अग्रिम प्रदान किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि बैंकों द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए मूल रूप से आबंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा पुनः वापस तुलनपत्र में जा रहा है (चार्ट 3.10 और 3.11)।

### बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रयास


3.42 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2010 में वित्तीय समावेशन को अपनी प्रमुख परियोजनाओं में से एक के रूप में अपनाया था। बाद में, वित्तीय समावेशन संबंधी पहल की अगुवाई एफएसडीसी की उप समिति के अधीन वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह द्वारा की गई जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। बैंकों को इसे अपनी कॉर्पोरेट कारोबार योजना का एक अभिन्न हिस्सा बनाकर कारोबारी रणनीतियों की तर्ज पर और तुलनात्मक लाभ के अनुरूप वित्तीय समावेशन योजना को तैयार करने की सलाह दी गई है। इन पहलों में, बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए बैंकों के लिए लक्ष्य तय करना, शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट खोलना, बुनियादी बचत और जमा खाता (बीएसबीडीए) खोलना, बीएसबीडीए में ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना, व्यवसाय प्रतिनिधि -सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) खातों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/सामान्य क्रेडिट कार्ड(जीसीसी) जैसे कृषि और कृषितर ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। वर्ष 2014-15 के लिए

चार्ट 3.10 : डीएफआई में बैंकिंग क्षेत्र का निवेश<sup>23</sup>



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई के स्टाफ का आकलन

चार्ट 3.11 : डीएफआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को दिए गए ऋण और अग्रिम



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई स्टाफ का आकलन

<sup>22</sup> आरआईडीएफ की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन नाबार्ड करता है।

<sup>23</sup> निवेश का अर्थ दीर्घावधि बांड, विशेष निधियों में जमाराशियां और अन्य जमाराशियां हैं। इसमें इक्विटी, अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों और ऋणों और अग्रिमों में निवेश शामिल नहीं है।

वित्तीय समावेशन योजना के तहत पहली छमाही के दौरान की गई प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बॉक्स 3.3 में दिए गए हैं।

### **प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ अभिसरण(कनवरजेंस)<sup>24</sup>**

3.43 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का उद्देश्य अधिकांशतः वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों से जैसा ही है, जिसकी वकालत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। पीएमजेडीवाई की योजना का कार्यान्वयन वित्तीय समावेशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों पर आधारित है। रिजर्व बैंक ने इससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना संबंधी फार्मेट तैयार किया है जिसका प्रयोग बैंकों द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत हुई प्रगति का रिपोर्ट करने में किया जा रहा है।

3.44 आगे चलकर बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत तय किए गए अपने लक्ष्यों को संशोधित करना होगा ताकि वे सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के अनुरूप बन सकें। इससे संबंधित रोडमैप के तहत 2000 से कम की जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध

कराने की समय सीमा मार्च 2016 से संशोधित करके अगस्त 2015 करना पड़ सकता है। किसी स्थान पर बुनियादी बैंक खाते खोलने संबंधी लक्ष्यों में संशोधन होने से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 26 जनवरी 2015 तक प्रत्येक घरों के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलें।

3.45 ₹.5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते समय बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे छः माह<sup>25</sup> तक खाते में संतोषजनक परिचालन का ध्यान रखें तथा इसके प्रति यथाविधि उचित सतर्कता बरतें। इसके अतिरिक्त बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आईबीए के सहयोग से वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें ताकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित किया जा सके।

### **प्रधानमंत्री जन धन योजना को बीमा और पेंशन सेवाओं तक बढ़ाना**

3.46 बीमा और पेंशन की कम मात्रा को देखते हुए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की भाँति इसे तदनुसार बढ़ाया जा सकता है अथवा ऐसी परियोजना बनाई जा सकती है ताकि आम जन को बीमा और पेंशन सेवाओं में शामिल किया जा सके।

### **बॉक्स 3.3: वित्तीय समावेशन योजना: सितंबर 2014 तक प्रगति**

घरेलू सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों (आरआरबी सहित) द्वारा उनके वित्तीय समावेशन योजना के तहत अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 तक छः महीने की अवधि के दौरान की गई प्रगति में शामिल हैं :

वर्तमान छमाही के दौरान बैंकिंग आउटलेट की संख्या में 62,948 की वृद्धि हुई जिससे सितंबर 2014 के अंत में बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या 446,752 हो गई। सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में बीएसबीडीए की संख्या 305 मिलियन तक पहुँच गई और इस अवधि के दौरान खातों की संख्या में 62 मिलियन की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत सरकार की पहल को देखते हुए अगस्त/सितंबर 2014 के दौरान बीएसबीडीए खोलने की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सितंबर 2014 के अंत तक करीब 57 लाख खाते खोले गए हैं। बीएसबीडीए के अंतर्गत बीसी-आईसीटी लेनदेनों में निरंतर बढ़ोतरी होने से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए 329 मिलियन लेनदेनों की तुलना में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में कुल 220 मिलियन लेनदेन हुए।

कृषि क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को प्रतिबिंबित करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में 1.2 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। कृषितर क्षेत्र में उद्यमी गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को प्रतिबिंबित करने वाले जीसीसी में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही के दौरान 1.3 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2014 के अंत तक 8.8 मिलियन खातों में कुल ₹.1165 बिलियन की राशि बकाया थी।

<sup>24</sup> अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई एक विस्तृत समावेशन योजना।

<sup>25</sup> सितंबर 2014 को समाप्त छमाही के दौरान 547,000 नए बीएसबीडीए धारकों ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाया। तथापि, कुल 305 मिलियन बीएसबीडीए खाता धारकों में से अभी तक केवल 6.6 मिलियन खाताधारकों ने इसके साथ उपलब्ध ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है।

### प्रतिभूति बाजार का विनियमन


#### अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई) के रुझान

3.47 पिछली 2-3 तिमाहियों में भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत मजबूती एवं उसकी संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। हालांकि खुदरा निवेशक की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है परंतु भारतीय शेयर बाजारों की प्रतिलाभ देने की क्षमता और उसका प्रदर्शन के संदर्भ में अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई)<sup>26</sup> के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है।

3.48 हालांकि विदेशी भागीदारी से भारतीय शेयर बाजार में गहराई और तरलता आती है परंतु इससे वैश्विक और घरेलू अनेक कारकों के कारण अत्यधिक उतार-चढ़ाव की अप्रत्याशित घटनाओं से जोखिमों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। भारतीय शेयर बाजार के मूल्यन में अत्यधिक वृद्धि के इस वर्तमान दौर में ओडीआई के माध्यम से होने वाले निवेश में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गई है और आनुमानिक मूल्यों और अभिरक्षा में रखी गई ऑस्तियों ने 2008 के बाद अक्टूबर 2014 में (चार्ट 3.12) में उच्चतम स्तर को छुआ।

3.49 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विनियामक ढांचे में किए गए बड़े बदलावों और ओडीआई को जारी करने के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' मानदंडों को कड़े करने संबंधी बातों को शामिल किया था। विनियमन 'अविनियमित' विदेशी निधियों को ओडीआई में लेनदेन करने से रोकता है भले ही उनके निवेश प्रबंधक अपने से संबंधित विनियामकों के विनियमन के अधीन हों। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के विनियमनों को विदेशी निवेश की आवश्यकताओं के संदर्भ में और अधिक सुदृढ़ बनाया गया और ओडीआई खरीदने वाले निकाय प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के तय करने वाले निकायों जैसे प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय

चार्ट 3.12 : विदेश स्थित व्युत्पन्नी लिखतों की प्रवृत्ति



स्रोत : सेबी

संगठन (आईओएससीओ) और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के सदस्य और सेबी के साथ प्रासंगिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों और अधिकार क्षेत्रों से ही संबंधित होगा। धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (एएलएम/सीएफटी)<sup>27</sup> के अंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुपालन में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में चिह्नित देशों के निवासियों से ओडीआई खरीद को प्रतिबंधित किया गया है।

<sup>26</sup> अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई) के माध्यम से विदेशी निवेशक भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूची के लिए प्रस्तावित प्रतिभूति में एक्सपोजर ले सकता है। ये लिखत विदेशी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा व्यक्तियों को जारी किए जा सकते हैं बशर्ते कि 'अपने ग्राहक का जानिए' संबंधी मानदंडों का अनुपालन किया गया हो।

<sup>27</sup> सेबी का परिपत्र : अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों को जारी करने की शर्तें (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमन, 2014, 24 नवंबर ([http://www.sebi.gov.in/cms/sebi\\_data/attachdocs/1416827082538.pdf](http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1416827082538.pdf) पर उपलब्ध)



अपारदर्शी ढांचे वाले निकायों को ओडीआई की खरीद करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, एफपीआई पर लागू निवेश प्रतिबंधों, जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक कंपनी के इक्विटी शेयरों की खरीद एकल एफपीआई द्वारा या किसी निवेश समूह द्वारा की गई खरीद किसी भारतीय कंपनी की कुल जारी की गई पूंजी के 10 प्रतिशत से कम होगी, को ओडीआई के लिए भी लागू कर दिया गया है।


### इक्विटी बाजारों के डेरिवेटिव खंड में तेजी से वृद्धि

3.50 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में नकदी बाजार खंड की तुलना में इक्विटी डेरिवेटिव की मात्रा में उच्च वृद्धि को दर्शाने वाली प्रवृत्ति के महत्व को उठाया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 (चार्ट 3.13) के पहले छह महीनों के दौरान डेरिवेटिव बाजार की तुलना में नकदी बाजार के कारोबार के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।

### म्यूचुअल फंड से प्रणालीगत जोखिम : भारतीय संदर्भ

3.51 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर), (अक्टूबर 2014) में पाया गया है कि 2007 से म्यूचुअल फंड (एमएफ), एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और घरेलू निवेशक अमेरिकी कॉरपोरेट और विदेशी बांड के सबसे बड़े धारक बने जो कुल धारित राशि का 30 प्रतिशत रहा। वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता के नजरिए से, बैंकों के माध्यम से होने वाले ऋण मध्यस्थता की तुलना में आस्ति प्रबंधकों और बाजारों के माध्यम से होने वाले ऋण मध्यस्थता के कुछ खास फायदे हैं जैसाकि निवेश जोखिम काफी हद तक निवेशकों द्वारा वहन किया जाता है और तरलता ज्यादातर बाजारों द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, ऋण लिखतों में किए गए निवेशों की अनेक विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च वित्तीय स्थिरता जोखिम सामने आ सकते हैं। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के उन संरचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था, जिसकी सेबी के उचित विनियमों के कारण वित्तीय स्थिरता जोखिम के प्रति उन्मुख होने की कम संभावना है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड उद्योग में खुदरा भागीदारी कम है जैसाकि आमतौर पर कॉरपोरेट के पास कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का बड़ा हिस्सा है जो 47 प्रतिशत के आसपास है। इसके अलावा, खुदरा निवेशक म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को 'जल्द न बेचने' की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

**चार्ट 3.13 : नकदी बाजार की तुलना में व्युत्पन्नी बाजार का टर्नओवर अनुपात (अप्रैल - सितंबर 2014 के दौरान)**



स्रोत : सेबी


### म्यूचुअल फंड उद्योग में धारिता का स्वरूप

3.52 दुनिया भर में, म्यूचुअल फंड क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता है क्योंकि आस्ति प्रबंधन उद्योग बैंकों, कॉरपोरेट संस्थाओं, बीमा निधियों, पेंशन निधियों, राष्ट्रिक धन निधियों (एसडब्ल्यूएफ) और उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई)/खुदरा निवेशकों को शामिल करते हुए व्यापक और विविध निवेशकों को पारंपरिक और वैकल्पिक निधियों का विकल्प प्रदान करता है। निवेशक श्रेणियों, निवेश उत्पादों और भौगोलिक पहुंच (चार्ट 3.14) के संदर्भ में भारतीय आस्ति प्रबंधन का प्रसार अपेक्षाकृत सीमित और संकेंद्रित है।

3.53 कॉरपोरेट के पास कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का लगभग आधा हिस्सा है, उसके बाद उच्च मालियत वाले व्यक्तियों और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी है। बाजार बहुत अधिक संकेंद्रित है और कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का लगभग तीन चौथाई हिस्सा पांच सबसे बड़े महानगरीय शहरों में ही केंद्रित है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादों और निधि योजनाओं के रेंज में विस्तार हुआ है और आय मूलक योजनाएं ही निवेश के बड़े हिस्से को आकर्षित कर रही हैं, इसके बाद तरल/मुद्रा बाजार और संवृद्धि उन्मुख योजनाओं की बारी आती है। यह देखा गया है कि अन्य निवेशक श्रेणियों की तुलना में संवृद्धि (इक्विटी) मूलक योजनाओं में दीर्घावधि निवेश का बड़ा हिस्सा खुदरा निवेशकों की ओर से किया गया है।

3.54 जीएफएसआर (अक्टूबर 2014) में पाया गया है कि म्यूचुअल फंड<sup>28</sup> में बढ़ी हुई धारिता से इन निधियों से निकलने की संभावना अधिक हो सकती है। 2014 में इक्विटी और गैर-इक्विटी प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) की संरचना विभिन्न निवेशकों की विभिन्न अवधि वाले बास्केट में हिस्सेदारी इंगित करता है और ये बास्केट बेहद कम अवधि से लेकर लंबी अवधि के हैं और यह बताते हैं कि भारतीय संदर्भ में खुदरा निवेशक इक्विटी और गैर-इक्विटी दोनों निवेश के मामले में, म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि तक निवेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं (चार्ट 3.15 और 3.16)। खुदरा निवेशकों की यह प्रवृत्ति उनकी बाजार संवेदनशीलता को भी उजागर करती है जिसके चलते वे बाजार का अनुकरण ऐसे समय करने लगते हैं जब कॉरपोरेट या संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली या किन्हीं अन्य कारणों से रुझान में परिवर्तन होता है।


चार्ट 3.14 : निवेशक प्रकार, निवेश उत्पादों तथा भौगोलिक पहुंच के अनुसार भारत में म्यूचुअल फंडों के एयूएम का वितरण



स्रोत : सेबी

<sup>28</sup> कुई, चैन, आइटे गोल्डस्टेन एंड वेई ज्यांग 2010, "पे-आफ कांपलिमेंटैरिटीज एंड फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी: म्यूचुअल फंड से साक्ष्य," *जर्नल आफ फाइनेंशियल इकानामिक्स* 97(2); 239-262

चार्ट 3.15 : निवेशकों के अनुसार इक्विटी एयूएम संरचना (अवधि-वार)



**टिप्पणी :** \* 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार। व्यक्तिगत रूप से रु.0.5 मिलियन एवं उससे अधिक का निवेश करने वालों के रूप में परिभाषित एचएनआई।  
**स्रोत :** सेबी, एएमएफआई।


तथापि, फरवरी, 2012 के सेबी के अनुदेश के अनुसार म्यूचुअल फंडों द्वारा अपनाए गए उचित मूल्यांकन सिद्धांत का पालन यह सुनिश्चित करता है कि सभी निवेशकों के साथ उचित प्रकार का व्यवहार हो, चाहे वो मौजूदा निवेशक हों अथवा ऐसे निवेशक जो म्यूचुअल फंड की यूनितों को बेचना अथवा खरीदना चाहते हों। इस सिद्धांत के अनुपालन से निवेशकों को उस प्रोत्साहन से वंचित कर देता है जो कि अन्य निवेशकों की तुलना में उन्हें पहले बिक्री करने पर प्राप्त होता था और इस प्रकार योजना पर मोचन का दबाव कम हो जाता है और धन निकालने की होड़ का जोखिम कम हो जाता है।

### एएमसी द्वारा सभी योजनाओं के म्यूचुअल फंड में इक्विटी पोर्टफोलियो धारिता का संकेंद्रीकरण

3.55 अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 की छमाही के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा इक्विटी में किए गए नियोजन में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस समय 41 एएमसी है और उनके पास रु. 9,594.14 बिलियन की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) हैं और इनका वितरण दर्शाता है कि पेरिटो के 80-20 सिद्धांत के अनुसरण में ही कुछ एएमसी के पास ही अधिकांश आस्तियां मौजूद हैं। शीर्ष दस एएमसी<sup>29</sup> के इक्विटी में पोर्टफोलियो होल्डिंग के साथ-साथ इक्विटी स्टॉक में शीर्ष के दस होल्डिंग के विश्लेषण से पता चलता है कि एएमसी के पोर्टफोलियो में चुनिंदा स्टॉक का ही समावेश है जो एक खास समूह के शेयरों की ओर वरीयता का संकेत करती है (तालिका 3.4 और चार्ट 3.17)।

<sup>29</sup> 30 सितंबर 2014 तक उच्चतम इक्विटी एयूएम होल्डिंग पर आधारित।

चार्ट 3.16 : निवेशकों के अनुसार इक्विटी से इतर एयूएम संरचना (अवधि-वार)




**टिप्पणी :** \* 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार। व्यक्तिगत रूप से रु.0.5 मिलियन एवं उससे अधिक का निवेश करने वालों के रूप में परिभाषित एचएनआई।  
**स्रोत :** सेबी, एएमएफआई।

सारणी 3.4 : भारतीय पारस्परिक निधि उद्योग में संकेंद्रण से संबंधित चुनिंदा सूचक

कुल एयूएम के प्रतिशत के रूप में इक्विटी एयूएम	31.6
कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में शीर्ष-10 एएमसी इक्विटी	77.7
शीर्ष-10 एएमसी में से प्रत्येक में शीर्ष-10 स्टॉक / शीर्ष एएमसी का कुल एयूएम	30.7
शीर्ष-10 एएमसी की कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में समग्र रूप से शीर्ष-10 स्टॉकों के एयूएम	22.8
कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में शीर्ष-4 एएमसी की इक्विटी एयूएम का हिस्सा	49.0

स्रोत : एएमसी

चार्ट 3.17 : शीर्ष-10 एएमसी द्वारा सामूहिक रूप से धारित इक्विटी शेयर का बारंबारता वितरण



स्रोत : एएमसी

3.56 एएमसी द्वारा शीर्ष के दस स्टॉकों में एक्सपोजर अर्थात् इंडेक्स (सीएनएक्स निफ्टी 100) में इन शीर्ष के दस स्टॉकों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) के वेटेज का विश्लेषण एएमसी के इक्विटी निवेश में अत्यधिक संकेंद्रण के स्तर को दर्शाता है। हालांकि शीर्ष दस स्टॉकों का सूचकांक के कुल बाजार पूंजीकरण में 46 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, परंतु शीर्ष दस एएमसी की प्रबंधनाधीन आस्तियों में दस शीर्ष स्टॉकों की हिस्सेदारी लगभग 74 प्रतिशत है जो सबसे अधिक तरलता वाले चुनिंदा समूह के प्रति वरीयता की ओर संकेत करती है। हालांकि एएमसी/योजनाओं द्वारा विशेष स्क्रिप में एक्सपोजर की सीमा के लिए विनियम है परंतु एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और विकास पर नजर रखने के लिए म्यूचुअल फंड क्षेत्र द्वारा काफी अधिक मात्रा में एक ही स्थान पर संकेंद्रण करने पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

### वित्तीय बाजार की बुनियादी सुविधाएं

3.57 भुगतान और निपटान प्रणाली (सीपीएसएस)<sup>30</sup> और एफएसबी के संबंध में गठित समिति का एक भागीदार होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक सीपीएसएस-आईओएससीओ 'वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा सिद्धांत' (पीएफएमआई) को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। भारत में वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा के सिद्धांतों को लागू करने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए एफएसडीसी उप-समिति के निर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के सदस्यों को शामिल करते हुए एक अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूह (आईएआईजी) का गठन किया गया है। रिजर्व बैंक के विनियम के अंतर्गत सीसीआईएल का निर्धारण एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा (एफएमआई) के रूप में किया गया है।

### साइबर सुरक्षा का महत्व और पीएफएमआई की प्राथमिकताओं में संभावित संघर्ष

3.58 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते हुए उपयोग के साथ वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से सूचना की सुरक्षा और परिचालनगत विश्वसनीयता की चुनौती बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पीएफएमआई के अंतर्गत एक खंड<sup>31</sup> में यह अपेक्षा की गई है कि एफएमआई परिचालक कारोबार

निरंतरता योजना को "इस प्रकार डिजाइन किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाधा उत्पन्न होने की घटना के दो घंटे के भीतर उस कार्य को महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली वापस परिचालित कर दे" और बाधागत लेनदेन का उसी दिन के अंत तक "पूरी तरह से निपटान" कर लिया जाए, भले ही कितनी विकट परिस्थितियां क्यों न हों। हालांकि, इस अपेक्षा के तत्काल अनुपालन के लिए उत्पन्न बाधा के कारणों की गुणवत्ता एवं पूर्णता की समीक्षा एवं उससे पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों के साथ थोड़ा-बहुत समझौता करना पड़ेगा। हालांकि देश के वित्तीय एवं अन्य प्रकार के सूचना नेटवर्क की बुनियादी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर गंभीर स्वरूप के 'साइबर आक्रमण' की स्थिति में प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को बहाल कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाएगा। इस स्थिति का पीएफएमआई के सिद्धांत 16 के साथ भी विवाद होगा क्योंकि इस सिद्धांत में यह अपेक्षा है कि एफएमआई उसके सहभागियों की आस्तियों की रक्षा करे और नुकसान होने का जोखिम कम से कम हो, इसलिए साइबर आक्रमण की स्थिति में नुकसान होने से बचाव, वित्तीय आस्तियों से संबंधित डाटा तथा लेन-देन की जानकारी की चोरी या धोखे से उनके अंतरण को रोकने की प्राथमिकता होना चाहिए।

### भारत के लिए विधिक संस्था के निर्धारक

3.59 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विश्व से संगत विधिक संस्था निर्धारक (एलईआई) जारी करने लिए सीसीआईएल को स्थानीय परिचालक इकाई (एलओयू) के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया है। इस संबंध में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं, और एलईआई संहिता का प्रयोग ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन तथा बड़े उधारकर्ताओं (विधिक संस्थाएं) के लिए चरणबद्ध रूप से अनिवार्य कर दिए जाने की संभावना है।

### भुगतान और निपटान प्रणाली

#### लेनदेनों की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों का बढ़ता उपयोग

3.60 देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की सुविधाएं बिना किसी बाधा के कार्य कर रही हैं। लेनदेन के निपटान में इलेक्ट्रॉनिक निधि का बढ़ता हुआ उपयोग इस प्रणाली में हुई प्रगति को सिद्ध

<sup>30</sup> अब इसका नाम भुगतान और बाजार बुनियादी सुविधा समिति(सीपीएमआई) हो गया है।

<sup>31</sup> पीएफएमआई के 17वें सिद्धांत के तहत मुख्य विचार।

करता है। अगस्त 2014 में कुल निपटान का तकरीबन 90 प्रतिशत खुदरा आधारित समाशोधन का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है (चार्ट 3.18 और 3.19)।

### ‘कार्ड अप्रस्तुत’ लेनदेन से संबंधित सुरक्षा मामले और जोखिम निवारण उपाय


3.61 कार्ड से लेनदेन की सुरक्षा और जोखिम निवारण के संबंध में वर्ष 2009 से लेकर समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कार्ड प्रस्तुत नहीं करके किए गए सभी लेन-देनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणन कारक (एफए) का उपयोग किया जाए। ये अनुदेश भारत में पूर्व में उन कार्डों से किए जा रहे लेनदेनों के लिए लागू थे जो कार्ड भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए थे। हाल में ऐसे उदाहरण ध्यान में आए हैं जिनमें संस्थाएं वैकल्पिक कारोबारी/भुगतान माडलों के माध्यम से कार्ड अप्रस्तुत लेनदेनों से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, जिनमें लेनदेन बिना अनिवार्य अतिरिक्त प्रमाणन/वैधीकरण के किए गए हैं, यहां तक कि अंतर्निहित लेनदेनों में भारत के दो निवासियों के बीच लेनदेन बड़े आराम से किए जा रहे थे।

3.62 इस घटना को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं और बैंकों को यह सूचित किया गया है कि भारत में बैंकों द्वारा जारी कार्डों का उपयोग यदि देश के भीतर उपलब्ध करवाए जाने वाले माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है और कार्ड अप्रस्तुत भुगतान सुविधा का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के लेनदेन भारत में बैंक के माध्यम से किए जाएं और कार्ड भुगतान सुरक्षा तथा विदेशी मुद्रा संबंधी वर्तमान अनुदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लेनदेन का निपटान अनिवार्यतः भारतीय करेंसी में किया जाए।

### मुख्य निपटान गारंटी निधि, चूक की अतिशयता और दबाव जांच


3.63 ‘भारत में प्रतिभूति बाजार का व्यवस्थित और स्वस्थ विकास’ के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए तथा बाजार को प्रणालीगत जोखिम से सुरक्षित रखते हुए सेबी ने ‘प्रमुख निपटान गारंटी निधि’ के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच स्तर बनाया है जिससे व्यापार के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

चार्ट 3.18 : निपटान प्रणालियों का वितरण (मूल्य में)



स्रोत : आरबीआई

चार्ट 3.19 : निपटान प्रणालियों का वितरण (मात्रा में)



स्रोत : आरबीआई

3.64 नये ढांचे का मकसद यह है कि समाशोधन निगम की मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और भी सक्रिय बनाया जाए ताकि समाशोधन सदस्यों से होने वाली चूक से कारगर तरीके से निपटा जा सके। प्रमुख निपटान गारंटी निधि(एसजीएफ), दबाव जांच एवं चूक प्रक्रिया से संबंधित आधारभूत मानदंड से और अधिक स्पष्टता एवं समानता पैदा होगी तथा यह समाशोधन निगमों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की तीव्रता को बढ़ाते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समरूप बनाएगी (बॉक्स 3.4)।



### बॉक्स 3.4: कोर एसजीएफ, चूक की भरमार (डिफाल्ट वाटरफाल) और दबाव जांच पर सेबी के दिशानिर्देश

सेबी ने एसजीएफ, चूक की भरमार और दबाव जांच के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ए) एसजीएफ के अंतर्गत एक मुख्य निधि(जिसे प्रमुख निपटान गारंटी निधि कहा गया है) का सृजन, जिसकी जमानत पर कोई एक्सपोजर नहीं दिया गया है और यदि समाशोधन के सदस्य निपटान दायित्व पूरा करने में असफल रहते हैं तो समाशोधन निगम के निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए यह निधि तत्काल बिना किसी शर्त के उपलब्ध रहेगी,
- बी) समाशोधन निगमों की दबाव जांच प्रथाओं को एफएमआई सिद्धांतों(ऋण जोखिमों के लिए दबाव जांच हेतु मानदंड, चलनिधि जोखिम के लिए दबाव जांच और रिवर्स दबाव जांच तथा बारंबारता एवं परिदृश्य(सिनेरियो)) के साथ समरूप बनाना,
- सी) संस्थागत एवं गैर-संस्थागत व्यापार दोनों में के निपटान में होने वाली चूक को दबाव जांच में पकड़ना,
- डी) सभी समाशोधन निगमों में चूक की अतिशयता को संगत बनाना,
- ई) केंद्रीय प्रतिपक्षों(सीसीपी) के लिए एक्सपोजर बासेल पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए चूक न करने वाले सदस्यों की देयताओं को सीमित करना,
- एफ) अन्य खंडों में होने वाली चूक से समाशोधन निगम के प्रत्येक खंडों को चारों ओर बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना देना,

जी) विभिन्न समाशोधन निगमों की दबाव जांच और जोखिम प्रबंधन प्रथा में एकरूपता लाना खासतौर से सदस्यों द्वारा चूक करने के संबंध में।

किसी भी खंड में चूक की अतिशयता आमतौर पर निम्नलिखित क्रम से घटित होती है:

- चूककर्ता सदस्यों के धन
- बीमा, यदि कोई हो
- सीसी संसाधन(एमआरसी के 5 प्रतिशत के बराबर)
- मुख्य एसजीएफ(इसके भीतर दंड भी तथा उसके बाद सीसी ताकि खंड एमआरसी के 25 प्रतिशत तक का नुकसान पहले वहन किया जा सके, उसके बाद सभी अंशदाताओं में समानुपातिक रूप से वितरण)
- शेष सीसी संसाधनों का अंश(अन्य खंड के मुख्य एसजीएफ में सीसी के अंशदान एवं रूप 100 करोड़ को छोड़कर) जो खंड एमआरसी के अनुपात तथा समस्त खंडों के एमआरसी के योग के बराबर होगा।
- अन्य खंडों के मुख्य एसजीएफ में सीसी/स्टाक एक्सचेंज का अंशदान और शेष अनुमोदित सीमा तक सीसी संसाधन
- उच्च सीमायुक्त अतिरिक्त गैर-चूककर्ता सदस्यों का अंशदान(सीसी द्वारा पूर्व-निर्धारित)
- भुगतानों के लिए समानुपातिक मार्जिन की कटौती

### वित्तीय सुरक्षा कवच: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

3.65 किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ निक्षेप बीमा प्रणाली आवश्यक है। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत कतिपय मुद्दों एवं चुनौतियों के बारे में रेखांकित किया गया था, जिनमें अन्य बातों के साथ, वे चुनौतियां शामिल हैं जो प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली<sup>32</sup> के मूल सिद्धांतों के अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा निक्षेप बीमा निधि की पर्याप्तता तथा निक्षेप बीमा कवरेज से संबंधित हैं।

3.66 मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत में यह जोर दिया गया है कि एक निधीयन (आश्वस्त चलनिधि निधीयन सहित) तंत्र का होना आवश्यक है ताकि जमाकर्ताओं के दावों की तत्काल प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और बैंक निक्षेप बीमा की लागत को वहन कर सकें। भारत में इस समय डीआईसीजीसी में तीन प्रकार की निधि खाते रखे जा रहे हैं अर्थात् - निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ)। इनमें से, निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का मुख्यतया उपयोग जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है और इसमें निधि का स्रोत बीमाकृत बैंक द्वारा अदा किया

<sup>32</sup> इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्श्योरर ने प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली और अनुपालन मूल्यांकन विधि के मूल सिद्धांतों में संशोधन कार्य पूरा कर लिया है और उसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है।


गया प्रीमियम तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली (और पुनः निवेश) निवेश आय है। इसमें परिसमापकों/प्रशासकों/ अंतरिती बैंकों द्वारा की गई वसूली से भी अल्प राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार, डीआईसीजीसी, डीआईएफ का निर्माण प्रत्येक वर्ष व्यय काटकर शेष रहने वाली आय से आयकर का भुगतान करने के बाद बची हुई राशि से करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। डीआईएफ में निधि की मात्रा जून 2014 के अंत में रुपये 441.5 बिलियन थी (चार्ट 3.20)।

3.67 डीआईएफ, बीमांकित देयता और संचित अधिशेष पर आधारित है। बीमांकित देयताएं दावे की वे राशियां हैं जिनका भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा अनेक वर्षों से डीआईएफ से किया जा रहा है और इस भुगतान में 12 प्रतिशत की दर से लगातार थोड़ी वृद्धि इसलिए हो रही है कि इस अवधि में कोई बड़ा बैंक फेल नहीं हुआ है। डीआईसीजीसी की देयताएं काफी हद तक सहकारी बैंकों के असफल होने से क्रिस्टलाइज्ड हो जाती हैं, जिसका अर्थ यह है कि इन संस्थाओं के प्रबंधन में कुछ अंतर्निहित कमजोरियां हैं।<sup>33</sup>

### पेंशन क्षेत्र

3.68 आने वाले दशकों में भारत जैसे विकासशील देश तेजी से बूढ़े हो जाएंगे और उनकी आय का स्तर अपेक्षाकृत कम होगा। भारत में पेंशन नीति परंपरागत रूप से रोजगार संविदा और सेवा शर्तों पर आधारित होती है और उसका वित्तपोषण नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों मिलकर करते हैं। फलस्वरूप, पेंशन का कवरेज केवल संगठित क्षेत्र तक ही सीमित है और असंगठित क्षेत्र के बड़ी संख्या में कामगार वृद्धावस्था की वित्तीय सहायता के औपचारिक चैनल की परिधि से बाहर हैं। अतः, राजकोषीय देयता को नियंत्रण में रखने तथा भारत में एक वहनीय पेंशन प्रणाली लागू करने की ओर जाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जैसे उत्पाद लाए जाने की अतिशय आवश्यकता है। जहां एनपीएस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी के प्रसारण के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

चार्ट 3.20 : जमाराशि बीमा निधि : अधिशेष एवं बीमांकित देयताएं



स्रोत : डीआईसीजीसी

(पीएफआरडीए) अग्रणी भूमिका निभा सकता है, वहीं एनपीएस को लोकप्रिय आंदोलन के रूप में विकसित होने की जरूरत है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आवश्यकता है।

### एनपीएस के कर-आकलन में विषमताएं और अन्य परंपरागत पेंशन प्रणाली

3.69 एनपीएस स्वैच्छिक है और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अनिवार्य योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए विधिक अनिवार्यता है इसलिए ईपीएफ खातों को कार्पोरेट विधिक दायित्व की दृष्टि से बनाए रखते हैं और सरकार द्वारा उसपर प्रतिवर्ष प्रतिफल सुनिश्चित किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्त उत्पादों की तुलना में इस उत्पाद को बाधारहित तरीके से सभी कार्पोरेट तक पहुंचाना और उनमें जागरूकता पैदा करना ही आगे की चुनौती है। एनपीएस के संबंध में कर लगाने की स्थिति को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ईईटी (छूट, मुक्ति, कर योग्य) स्थिति पर निर्णय अभी भी लंबित है।

<sup>33</sup> ऐतिहासिक रूप से, भारत के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र में असफलता की संभावना बिलकुल नहीं है। यहां तक कि महत्वपूर्ण निजी बैंक जिनके यहां समस्याएं थी; वे भी नहीं फेल हुए क्योंकि उन्हें सुदृढ़ सरकारी या निजी क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया और यही विकल्प हाल के विगत समय में वरीयता से अपनया गया था।

### पण्य व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाज़ार

#### पण्य बाज़ार में हेजर-सहभागिता में सुधार लाने हेतु पहल

3.70 बाजार में हेजिंग में सुधार लाने के लिए एफएमसी ने ऐसे सहभागियों को बाजार द्वारा निर्धारित मार्जिन (मार्क-टू-मार्केट) को छोड़कर अन्य सभी मार्जिन का भुगतान करने से छूट प्रदान कर दी है जो एक्सचेंजों के पण्यों का शीघ्र 'भुगतान' कर देते हैं। यह भी कि जो सदस्य मार्जिन का पूर्व-भुगतान कर देते हैं उनके द्वारा ली गई पोजीशन में उस मार्जिन को पोजीशन लिमिट में नहीं गिना जाएगा तथा ऐसे सहभागियों को स्प्रेड मार्जिन का भी फायदा मिलेगा।

3.71 कृषि और कृषितर कमोडिटीज के लिए खुली पोजीशन सीमाओं हेतु गणना पद्धतियों को संशोधित किया गया है। कृषि कमोडिटीज के लिए समग्र एक्सचेंज-वार सकल पोजीशन सीमा को अनुमानित उत्पादन और आयातों के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया जाएगा। एक्सचेंज के सदस्यों के लिए पोजीशन सीमा ग्राहकों के लिए उपलब्ध स्तर पोजीशन की तुलना में दस गुना अधिक या बाजार-वार खुले ब्याज के 20 प्रतिशत तक, जो भी

अधिक हो, पर उपलब्ध होंगी। ग्राहक स्तरीय पोजीशन सीमाएं समय-समय पर निर्धारित की गई अंकीय पोजीशन सीमाएं या बाजार-वार खुले ब्याज के 5 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उपलब्ध होंगी। कृषि जिन्सों और कृषि उत्पादों के मामले में ग्राहक स्तरीय पोजीशन सीमा कुल उत्पादन और आयात के 1 प्रतिशत तक सीमित होगी। कृषि जिन्सों के लिए निकट माह की पोजीशन सीमाओं को भी संशोधित किया गया है और इसे समग्र पोजीशन सीमाओं के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है।

3.72 पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, जिन्स वायदा एक्सचेंजों को यह निदेश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर, 'खरीदी' पक्ष में शीर्ष 10 व्यापारी ग्राहकों के साथ ही साथ 'बिक्री' पक्ष में अधिकतम खुले ब्याज के आर्डर की स्थिति, विभिन्न हेजर्स को आबंटित हेज पोजीशन, अनामरूप में दैनिक आधार पर हेजर्स को दिए गए सुपुर्दिगी चालान को प्रदर्शित करें। इसके अलावा, एक्सचेंजों को अपनी वेबसाइट पर, बाजार की सूचना के लिए, निपटान पूरा होने के दस दिन के बाद हेजर्स सहित शीर्ष 10 ग्राहकों द्वारा जिन्सों की 'पे-इन' और 'पे-आउट' स्थिति दर्शानी होगी।